रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 13.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड 34] शिमला, शनिवार, 30 अगस्त, 1986/8 भाद्रपद, 1908 [संख्या 35

विषय-सूची

भाग 1	वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि	814—822 तथा 840—842
भाग 2	वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और ज़िला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि ..	822—827 तथा 843—845
भाग 3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेन्शल कमिश्नर तथा कमिश्नर आफ इन्कम-टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि	827—832
भाग 4	स्थानीय स्वायत शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग ..	832—835
भाग 5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन	835—836 तथा 846
भाग 6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन	836—840
भाग 7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं	—
—	अनुपूरक	—

30 अगस्त, 1986/8 भाद्रपद, 1908 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्तियां 'असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुईं :—

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
—	Directorate of State Lotteries	Result of 14th Draw of "Shivalik Weekly" held at Shimla on 21-8-1986.
संख्या ई० एक्स० एन०-एफ० (17)-3/81, दिनांक 26 अगस्त, 1986	उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग	हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्ज टैक्स ऐक्ट, 1968 में संलग्न अनुसूची 'ए' की प्रविष्टि 1 में दर्शित केवल बसों और ट्रकों की चेसियों पर कर, व्यौहारी के कराधेय आवर्त पर 10 प्रतिशत अधिशुल्क सहित साढ़े तीन पैसे प्रति रुपये की दर से तारीख 1-9-86 से उद्गृहीत होगा, इसके प्राधिकृत अंग्रेजी रूपान्तर सहित।

भाग-I- -वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट

NOTIFICATION

Shimla-1, the 11th August, 1986

No. HHC/14-89/Jus/S/79-8818.—It is hereby notified that the Hon'ble Mr. Justice Hira Singh Thakur, Judge, has relinquished the charge of the office of the Judge, High Court of Himachal Pradesh, in the forenoon of August 10, 1986 on attaining the age of superannuation.

By order,
R. L. KHURANA,
Registrar.

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 जुलाई, 1986

संख्या एक्स-एन-जी (1) 1/78-पार्ट.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामत: बहूद्देश्यीय बैरियर स्वारघाट, जिला बिलासपुर के कार्यालय तथा स्टाफ के लिए रिहायशी मकान के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में विनिर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों जो, इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस समय इस उपक्रम से कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इस इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं ।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है :—

विवरणी

जिला: बिलासपुर सब-तहसील: स्वारघाट

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बीघा	बि0
फतेहपुर	106	0	6
	107 तथा	0	10
	108	0	3
	109 तथा	0	8
	110	0	11
किस्सा	5	1	18

आदेश द्वारा,
आर0 के0 आनन्द,
वित्तायुक्त तथा सचिव ।

सामान्य प्रशासन विभाग
ब-शाखा

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 16 अप्रैल, 1985

संख्या जी0ए0 बी0-2बी(3) 1/84.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री अमर सिंह ठाकुर, अवर सचिव, राज्यपाल सचिवालय, हिमाचल प्रदेश को 30-4-1985 दोपहर उपरांत उनके सेवाकाल पूर्ण होने पर सेवा निवृति के सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
विशेष सचिव ।

शिमला-2, 17 अक्तूबर, 1985

संख्या जी0 ए0 बी0 1-ए(4)-13/85.—इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 12 अगस्त, 1985 का प्रसंग जारी रखते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, सहर्ष यह आदेश देते हैं कि उप-मण्डल स्तरीय शिकायत तथा खाद्य एवं आपूर्ति सलाहकार समितियों की बैठकों की अध्यक्षता सम्बन्धित जिलों के जिलाधीश द्वारा की जायेगी'।

ये आदेश तत्काल लागू होंगे ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
मुख्य सचिव।

शिमला-2, 14 जनवरी, 1986

संख्या जी0ए0बी0-4-डी0(1)-29/84.—यत: राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामत: चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में डाक-तार विभाग द्वारा यू0एच0 फ0 स्टेशन निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिये भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत तथा भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या एफ-25(3)-जे0-ii, दिनांक 20-2-1957 द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके नीचे कार्य करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को इस क्षेत्र की किसी भी भूमि में प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर, कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता (सब-डिवीजनल आफिसर, सिविल), चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला : चम्बा तहसील : चम्बा

गांव/कस्बा	खसरा नं0	क्षेत्र बीघा	क्षेत्र विस्वा
1	2	3	4
मुगला	1259/897/1	0	2
	1040	0	7
	1637/1295/1	0	7
	963/1	0	3
	964	0	5
	965	0	7
	1312/973/1	0	7
	958	0	11
	959	0	8
	960	0	4
	1291/256	0	2
	1293/957	0	7
	961	0	4
	962	0	4
	1039/1	0	3
	1638/1295/1	0	14
	1319/973	0	5
	976/1	0	7
किस्सा ..	18	5	7

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

SPECIFICATION

District: CHAMBA *Tehsil*: CHAMBA

Locality/Village	Khasra No.	Area Big.	Area Bis.
1	2	3	4
MUGLA	1259/897/1	0	2
	1040	0	7
	1637/1295/1	0	7
	963/1	0	3
	964	0	5
	965	0	7
	1318/973/1	0	7
	958	0	11
	959	0	8
	960	0	4
	1291/956	0	2
	1293/957	0	7
	961	0	4
	962	0	4
	1039/1	0	3
	1638/1295/1	0	14
	1319/973	0	5
	976/1	0	7
Kitta ..	18	5	7

By order,
Sd/-
Secretary.

(*Authoritative English text of Himachal Pradesh Government Adhisuchna No. GAB-4 D* (1) 29/84 *dated* 14-1-1986 *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India*).

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B—SECTION

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14*th January*, 1986

No. GAB-4D (1) 29/84.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that land is likely to be required to be taken by the Central Government, at public expence for the public purpose, namely for the construction of U.H.F station at Chamba, by the Posts and Telegraph Department, it is hereby notified that the land in the locality specified below is likely to be required for the above purpose.

2. This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 and in pursuance of powers delegated by the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification No. F. 25 (3) 57-II, dated the 20th February, 1957, to all whom it may concern.

3. In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey the land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

4. Any person interested, who has any objection to the acquisition of the said land in the locality, may within thirty days of the publication of this notification file an objection in writing before the Collector of Land Acquisition (Sub-divisional Officer—Civil), Chamba, District Chamba, Himachal Pradesh.

शिमला–171002, 22 फरवरी, 1986

संख्या जी0 ए0 बी0 1-ए(4)-28/85.—इस विभाग के अधिसूचना संख्या जी0 ए0 डी0 (डी) (ए)-4-1/80 (पार्ट) दिनांक 6 अगस्त, 1982 का अधिक्रमण करते हुये, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय शिकायत तथा खाद्य एवम् आपूर्ति सलाहकार समिति का पुनः गठन निम्न प्रकार से करने के सहर्ष आदेश देते हैं :–

1. मुख्य मन्त्री — अध्यक्ष
2. प्रभारी मन्त्री, खाद्य एवम् आपूर्ति — उपाध्यक्ष
3. श्रीमती विद्या स्टोक्स, अध्यक्षा, हिमाचल प्रदेश विधान सभा — सदस्य

4. कांग्रेस (आई) पार्टी के प्रतिनिधि :

1. श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी, अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई) । — सदस्य
2. श्री हरदयाल चौधरी, महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई) । — सदस्य
3. श्री देव राज नेगी, प्रधान युवा कांग्रेस — सदस्य
4. श्री सिधी राम , महासचिव युवा कांग्रेस — सदस्य

5. संसद सदस्य :

1. श्री रोशन लाल, संसद सदस्य (राज्य सभा) — सदस्य
2. श्रीमती ऊषा मल्होत्रा, संसद सदस्य (राज्य सभा) — सदस्य
3. श्री आनन्द शर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा) — सदस्य
4. श्री नारायण चन्द पराशर, संसद सदस्य (लोक सभा) — सदस्य
5. श्रीमती, चन्द्रेश कुमारी, संसद सदस्य (लोक सभा) — सदस्य

6. विधान सभा सदस्य:

1. श्री नेहर सिंह विधायक — सदस्य
2. श्री मिलखी राम गोमा, विधायक — सदस्य
3. श्री हीरा सिंह पाल, विधायक — सदस्य
4. श्री जगदेव चन्द, विधायक — सदस्य

7. बोर्ड के अध्यक्ष :

1. श्रीमती सरला शर्मा, अध्यक्षा, खादी एवम् ग्रामोद्योग सदस्य बोर्ड ।

8. प्रत्येक जिला स्तरीय समिति में से एक गैर सरकारी सदस्य जिसे सरकार द्वारा अध्यक्ष, जिला स्तरीय समितियों द्वारा सिफारिश किये गये 3 व्यक्तियों की सूची में से चुना जाना है।

9. श्री ज्ञान सिंह नेगी, भूतपूर्व विधायक, एडवोकेट, कल्पा, सदस्य जिला किन्नौर ।

10. भाई सुन्दर सिंह, भूतपूर्व विधायक, नाहन, जिला सिरमौर सदस्य

11. श्री हेम चन्द सूद, प्रधान, हिमाचल प्रदेश व्यापार मण्डल, जिला सोलन । सदस्य

12. श्री सी0सी0डी0 जन, हिमाचल कंडक्टर्ज, सपरून, जिला सोलन । सदस्य

13. गुल्जार मुहम्मद भारती, संयोजक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक कक्ष, गांव व डा0 नागवांई, जिला मण्डी । सदस्य

14. सूबेदार रामरक्खामल, ऊना, हिमाचल प्रदेश सदस्य

15. मेजर विधि चन्द, जिला हमीरपुर सदस्य

16. श्री बालक राम भूतपूर्व विधायक, कश्यप निवास, कैथू, शिमला-3 सदस्य

सरकारी सदस्य

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सदस्य
2. वित्तायुक्त (विकास) सदस्य
3. वित्तायुक्त (राजस्व) सदस्य
4. आयुक्त एवम् सचिव (सामान्य प्रशासन) सदस्य
5. आयुक्त एवम् सचिव (उद्योग) सदस्य
6. आयुक्त एवम् सचिव (स्वास्थ्य) सदस्य
7. आयुक्त एवम् सचिव (लोक निर्माण) सदस्य
8. अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एवम् सचिव (बहूद्देश्यीय परियोजना एवम् विद्युत) सदस्य
9. प्रधान सचिव, मुख्य मन्त्री सदस्य
10. सचिव (स्वायत्त शासन विभाग) सदस्य
11. सचिव (खाद्य एवम् आपूर्ति) सदस्य-सचिव
12. पुलिस महानिरीक्षक, हिमाचल प्रदेश सदस्य
13. पंजीयक, सहकारी सभायें, हिमाचल प्रदेश सदस्य
14. निदेशक, खाद्य एवम् आपूर्ति सदस्य
15. प्रबन्ध निदेशक, सिविल सप्लाइज कारपोरेशन सदस्य

इस समिति के गठन के आदेश तुरन्त लागू होंगे।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
मुख्य सचिव ।

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 21 फरवरी, 1986

संख्या होम-ए-(ए)(1)-5/80.—पंजाब पुलिस नियम, 1934 जैसा कि हिमाचल प्रदेश में लागू है के नियम 1.10 के अध्ययन सहित, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का दूसरा अधिनियम) की धारा (2) के खण्ड (एस) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नीचे दी गई अनुसूचि के स्तम्भ (2) में दिए गए मौजाजात/गांवों, जो कि स्तम्भ (3) में दिए गए पुलिस थाना के कार्यक्षेत्र में पड़ते हैं, को स्तम्भ (4) में दी गई पुलिस चौकी के कार्यक्षेत्र में तत्काल तबदील करने के लिए सहर्ष आदेश देते हैं :—

अनुसूचि

क्र0सं0	नाम मौजाजात/गांव	पुलिस थाने का नाम जिसमें अब तक शामिल थे	पुलिस चौकी जिसमें इस अधिसूचना जारी होने पर शामिल हुए
1	2	3	4
1.	टिक्कर	थाना पालमपुर	पुलिस चौकी पंचरुखी ।
2.	अन्दरीता	,,	,,
3.	सलयाना	,,	,,
4.	अगोज़र	,,	,,
5.	मनोंयारा	,,	,,
6.	दयोग्रां	,,	,,
7.	पट्टी	,,	,,
8.	भोरा	,,	,,
9.	थन्डोल	,,	,,

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

उद्यान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 1 मार्च, 1985

संख्या 38-98/69-एग्र-सैक्ट.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री हंस राज अकरोट, भूतपूर्व विधायक का हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम, शिमला के निदेशक मण्डल तथा उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिनांक 7 फरवरी, 1985 बाद दोपहर से सहर्ष स्वीकार करते हैं।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (उद्यान) ।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः* भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरण में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन* के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना, मण्डी, जिला मण्डी को एतद्द्वारा उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक समाहर्ता, भू-अर्जन, व्यास-सतलुज लिंक परियोजना, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

*बल्ह सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु।

संख्या सिंचाई-(II)-1-5/85-मण्डी. शिमला-2, 19 जुलाई, 1986.

विस्तृत विवरणी

जिला: मण्डी तहसील: सदर

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बी0	बि0	वि0
1	2	3	4	5
रौ/241	28/1	0	1	14
	29/1	0	2	8
	27/1	0	2	16
	35/1	0	0	3
	46/1	0	0	3
	45/1	0	1	10
	261/1	0	1	12
	1017/285/1	0	2	2
किता ..	8	0	12	8

संख्या सिंचाई (II) 1-5/85-मण्डी-III.
शिमला-2, 19 जुलाई, 1986.

तमरोह	860/775/374/1	0	1	0
किता ..	1	0	1	0

संख्या सिंचाई (II)-1-5/85-मण्डी.
शिमला-2, 19 जुलाई, 1986.

तमरोह चौतड़ा/ 242.	645/1	0	0	4
	644/1	0	1	14
	640/1	0	1	5
	639/1	0	5	7
	638/1	0	1	6
	953/635/1	0	6	1
	634/1	0	8	1
	629/1	0	4	8
	629/2	0	15	6
	629/3	0	0	14
	624/1	0	4	15
	624/2	0	0	12
	624/3	0	3	13
	379/1	0	6	8
	383/1	0	3	14
	382/1	0	2	4
	381/1	0	0	3
	380/1	0	0	2
	433/1	0	4	16
	432/1	0	1	4
	596/1	0	2	11
	595/1	0	1	12
	594/1	0	0	7
	592/1	0	2	18
	648/1	0	2	0
	652/1	0	1	19
	649/1	0	1	4
	248/1	0	11	0
	247/1	0	1	13
	294/1	0	2	1
	305/1	0	0	6
	302/1	0	0	19
	302/3	0	2	8
	310/1	0	0	8
	311/1	0	3	4
	301/1	0	1	13
	300/1	0	3	3
	300/2	0	0	7
	367/1	0	0	9
	384/1	0	1	0
	384/2	0	7	10
	368/1	0	0	14
	369/1	0	8	0
	623/1	0	6	8
	623/2	0	0	12
	623/3	0	2	16
	608/1	0	0	12
किता ..	47	6	19	11

संख्या (सिंचाई) II-1-6/85-मण्डी.
शिमला-2, 19 जुलाई, 1986.

सकरोह/ 294	1235/1110/ 700/1/1	1	0	3

*ग्राम रौ के पम्प हाउस के निर्माण हेतु।

संख्या (सिंचाई) (II)-1-5/85-रौ0-II0
शिमला-2, 19 जुलाई, 1986.

रौ	1064/529/1	0	3	11
	1066/531/1	0	2	16
	519	0	1	8
किता ..	3	0	7	15

*बल्ह घाटी सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु।

संख्या (सिंचाई) II-1-6/85-मण्डी
शिमला-2, 19 जुलाई, 1986.

चतरोर/ 293	287/ /1	0	11	19
	302/2/1	1	10	5
	302/1/1	0	12	19
	859/305/1	1	2	7
	848/506/1	1	4	5
	204/1	0	12	12
	203/1	0	11	12
	205/1	0	0	18
	308/1	0	16	2
	316	0	18	0
	328/1	1	16	2
	329	0	9	5
	310/1	0	2	8
	318/1	0	16	10
	317/1	1	15	6
	330/1	0	5	17
	322/1	2	8	6
	860/305/1/1	2	6	0
किता ..	18	18	0	13

संख्या (सिंचाई) (II)-1-6/85-मण्डी
शिमला-2, 19 जुलाई, 1986.

गोड़ा गगल/ 214	622/1	0	15	16
	629/1	0	6	8
	630 सोलम	0	4	8
	631/1	0	2	15
	631/2	0	0	13
	626/1	1	3	8
	642/1	0	5	11
	633/1	0	17	12
	634/1	0	7	8
	626/1/1	0	6	2

1	2	3	4	5
	797/768/733/1	0	15	8
	501/1	0	14	2
	500/1	0	8	4
	492/1	0	3	14
	790/750/361/1	2	9	6
	498/1	0	16	14
	496/1	0	8	6
	499/1	1	1	1
	560/1	0	0	12
	495/1	0	6	4
	495/2	0	2	3
	620/1	1	8	9
	566/1	0	6	8
	621/1	0	1	16
	621/2	0	1	0
	627/1	0	0	12
	504/1	0	7	17
	504/2	0	4	16
	564/1	1	18	10
	590/1	0	19	7
	586/1	0	0	8
	589/1	0	14	12
	588/1	0	18	12
	766/733/1	0	9	15
	799/768/633/1	0	5	10
	798/768/733/1	0	18	14
	637/1/1	0	0	6
	502/1	1	3	18
	503/1	0	1	18
	507/1	0	13	4
	किस्ता . .	40	22	11 7

आदेश द्वारा,
बी० बी० टण्डन,
सचिव।

INDUSTRIES DEPARTMENT

CERTIFICATES OF APPROVAL

Shimla-2, the 28th June, 1986

No. Udyog (Chh)7-35/85-II.—This is to certify that M/s D. D. Ahuja, 555-A,Krishna Colony, Gurgaon is approved as a person who is qualified to acquire prospecting licence and mining lease in respect of all minerals except petroleum and natural gas in the State of Himachal Pradesh under the Mineral Concession Rules, 1960.

This certificate shall be valid upto the 31st December, 1986.

Shimla-2, the 2nd August, 1986

No. Udyog (Chh) 7-35/85-III.—This is to certify that Shri Rajib Abbi, SC/6, w.e.a. Karol Bagh, New Delhi is approved as a person who is qualified to acquire prospecting licence and mining lease in respect of all minerals except petroleum and natural gas in the State of Himachal Pradesh under the Mineral Concession Rules, 1960.

The certificate already granted and which expired on the 31st December, 1985 is renewed upto 31st December, 1986.

Shimla-2, the 2nd August, 1986

No. Udyog (Chh) 7-35/85-III.—This is to certify that M/s Surinder Kumar Kamala Devi, V.&P.O. Kamroo, is approved as a firm who is qualified to acquire prospecting licence and mining lease in respect of all minerals except petroleum and natural gas in the State of Himachal Pradesh under the Mineral Concession Rules, 1960.

This certificate shall be valid upto 31st December, 1986.

Shimla-2, the 2nd August, 1986

No. Udyog (Chh) 7-35/85-III.—This is to certify that M/s Ajay Ayri Atma Ram Sharma, Village Bangran, P.O. Shivpur, Tehsil Paonta, District Sirmaur is approved as a firm who is qualified to acquire prospecting licence and mining lease in respect of all minerals except petroleum and natural gas in the State of Himachal Pradesh under the Mineral Concession Rules, 1960.

This certificate shall be valid upto 31st December, 1986.

Shimla-171002, the 2nd August, 1986

No. Udyog (Chh) 7-35/85-III.—This is to certify that M/s Smt. Vidya Vati Sharma, 5, Lehnu Bhawan, Shimla-1 is approved as a firm who is qualified to acquire prospecting licence and mining lease in respect of all minerals except petroleum and natural gas in the State of Himachal Pradesh under the Mineral Concession Rules, 1960.

This certificate shall be valid upto 31st December, 1986.

Shimla-2, the 2nd August, 1986

No. Udyog(Chh)7-35/85-III.—This is to certify that M/s Banor Lime and Quarrying Gram Udyog Workers Samiti, Banor is approved as a firm who is qualified to acquire prospecting licence and mining lease in respect of all minerals except petroleum and natural gas in the State of Himachal Pradesh under the Mineral Concession Rules, 1960.

This certificate shall be valid upto the 31st December, 1986.

Shimla-2, the 2nd August, 1986

No. Udyog (Chh)7-35/85-III.—This is to certify that Shri P. L. Jalam c/o M/s Rama Cement Ltd., Karol Bagh, New Delhi is approved as a firm who is qualified to acquire prospecting licence and mining lease in respect of all minerals except petroleum and natural gas in the State of Himachal Pradesh under the Mineral Concession Rules, 1960.

This certificate shall be valid upto the 31st December, 1986.

Shimla-2, the 2nd August, 1986

No. Udyog (Chh)7-35/85-III.—This is to certify that M/s V.K. Sood, Engineers & Contractors Pvt. Ltd., Chandigarh is approved as a firm who is qualified to acquire prospecting licence and mining lease in respect of all minerals except petroleum and natural gas in the State of Himachal Pradesh under the Mineral Concession Rules, 1960.

This certificate shall be valid upto the 31st December, 1986.

By order,
O. P. YADAV,
Commissioner-cum-*Secretary*.

श्रम विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 28 फरवरी, 1985

संख्या 8-7/80-श्रम-II.—इस विभाग की सम संख्यक अधिसूचना दिनांक 26-2-1984 का अधिक्रमण करते हुए तथा कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या LXIII 1948) की धारा 8 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु श्री बी0डी0 शर्मा को सारे हिमाचल प्रदेश के लिए निरीक्षक तुरन्त नियुक्त करने के आदेश सहर्ष देते हैं। श्री बी0डी0 शर्मा का मुख्य कार्यालय शिमला होगा।

आदेशानुसार,
हस्ताक्षरित/-
विशेष सचिव।

[*Authoritative English text of Himachal Pradesh Government Notification No.* 8-7/80 *Shram-II dated* 22-2-1985 *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India.*]

Shimla-2, the 28th Fabruary, 1985

No. 8/7/80-Shram-II.—In supersession of this Department Notification of even number dated the 24th February, 1984 and in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of section 8 of the Factories Act, 1948 (Act No. LXIII of 1948), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri B.D. Sharma as Inspector for whole of Himachal Pradesh with Headquarters at Shimla for the purposes of the said Act with immediate effect.

By order,
Sd/-
Special Secretary.

शिमला-2, 14 अक्तूबर, 1985

संख्या 8-12/81-श्रम.—यत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह अपेक्षित है कि हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम को सेवाओं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्या-14) की प्रथम अनुसूचि के अन्तर्गत आता है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु जनोपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए।

और यत: राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह अपेक्षित है कि उक्त सेवाओं को जन उपयोगी सेवा छ: महीने तक घोषित करना अनिवार्य है।

अत: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 2 के खण्ड (एन) के उपखण्ड (VI) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा खाद्य एवं आपूर्ति निगम की उक्त सेवाओं को जन-उपयोगी सेवा उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु छ: माह तक की अवधि के लिए सहर्ष तुरन्त घोषित करते हैं।

आदेशानुसार,
हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

शिमला-171002, 3 मार्च, 1986

संख्या 8-16/80-श्रम-II.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सर्वश्री जवाला सिंह फिटर और श्री तिलक राज टार्नर, भूतपूर्व कर्मचारी मैसर्ज सलेचा केबल प्राइवेट लिमिटिड, मैहतपुर तथा प्रबन्धकगण मैसर्ज सलेचा केबल प्राईवेट लिमिटिड, मैहतपूर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिये गये विषय पर औद्योगिक विवाद है और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित हैं कि यह मामला श्रम न्यायालय को भेज देने योग्य है।

अत: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद्द्वारा इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7-ए के अन्तर्गत निर्मित श्रम अधिकरण को नीचे व्याख्या किये गए विषय पर अपना निर्णय देने के लिए भेजते हैं :-

"क्या श्री जवाला सिंह फिटर और तिलक राज टर्नर भूतपूर्व कर्मचारियों की नौकरी समाप्त करना सही और न्यायसंगत है, यदि नहीं तो सर्वश्री जवाला सिंह फिटर और श्री तिलक राज टर्नर भूतपूर्व कर्मचारी किस सहायता और निश्चित क्षतिपूर्ति धन राशि के पात्र हैं।

शिमला-171002, 6 मार्च, 1986

संख्या 15-3/86-एल0ई0पी0.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि थिरानी कैमिकल्ज वर्कस यूनियन, निहालगढ़, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर तथा थिरानी कैमिकल्ज लिमिटिड, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के मध्य नीचे दिए गये विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत समझोता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित है कि यह मामला श्रम न्यायालय को भेज देने योग्य है;

अत: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद्द्वारा इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अन्तर्गत निर्मित श्रम न्यायालय को नीचे व्याख्या किये गए विषय पर अपना निर्णय देने के लिए भेजते हैं :-

"क्या मजदूरों की निम्नलिखित मांगें :-

1. मजदूरों की राजपत्रित छुट्टियों के दिन कार्य देने पर पी0एल0 दिया जाए
2. सभी मजदूरों को साल में 12 पी0एल0 दिया जाए
3. सालाना बोनस 20 प्रतिशत दिया जाए
4. यूनियन को 25 छुट्टी साल की दी जाए
5. चौकीदारों को ठण्डा भत्ता दिया जाए
6. प्रति कर्मचारी को 40 रु0 साइकिल भत्ता दिया जाए
7. प्रत्येक शिफ्ट में शिफ्ट कर्मचारियों को 30 मिनट का लन्च दिया जाए।

सही और न्यायसंगत है यदि नहीं तो थिरानी कैमिकल्ज वर्कस यूनियन, निहालगढ़, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर किस सहायता और निश्चित क्षतिपूर्ति धन राशि का पात्र है।"

शिमला-171002, 6 मार्च, 1986

संख्या 15-3/86-एल0ई0पी0.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि श्री राधा किशन प्रोसैस आपरेटर/श्री बावन प्रसाद प्रोसस आपरेटर/श्री राम प्रसाद फिटर, श्री राम क्रान्ति यादव, प्रोसैस आपरेटर/श्री हसमुद्दीन अन्सारी प्रोसैस आपरेटर/श्री शर्मा नन्द वैल्डर और थिरानी कैमिकल्स वर्क्स यूनियन, निहालगढ़ पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिये गये विषय पर औद्योगिक विवाद है और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित है कि यह मामला श्रम न्यायालय को भेज देने योग्य है।

अत: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 12 की उपधारा (5) के अन्तर्गत प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद्द्वारा इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7-ए के अन्तर्गत निर्मित श्रम अधिकरण को नीचे व्याख्या किये गए विषय पर अपना निर्णय देने के लिए भेजते हैं :–

"क्या कामगारों की 2-12-85 की मांगें 19-1-85 के समझौता को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत और सही हैं और उन्हें क्या सहायता मिलनी चाहिए। मांगे निम्नलिखित है :–

(i) क्या छः कामगारों को निकालना सही और न्यायसंगत है और किस सहायता के हकदार हैं।

(ii) सभी मजदूरों को वर्दी टैरीकाट साल में एक या सूती साल में दो दी जायें और इसके साथ-साथ एक जूता एवं जुराब का जोड़ा भी दिया जाए।

(iii) लेबर कलोनी में एक पानी की टांकी एवं शोचालय एवं स्नानगृह दी जाए।

(iv) कालोनी में एक डिस्पैंसरी खोली जाए।

(v) सभी कामगारों के पे स्केल नीचे लिखे तरीके से दिये जाएं :–

(क) उप-फिटर 1000 रुपये से 1200 रु० प्रति माह दिया जाए

(ख) फिटर 1000 रुपये से 1200 रु० प्रतिमाह वेतन दिया जाए

(ग) इलैक्ट्रिशियन 1000 रु० से 1200 रु० प्रति माह वेतन दिया जाए।

(घ) व्यालमअटेन्डैन्ट 1000 रु० से 1200 रु० प्रतिमाह वेतन दिया जाए।

(ङ) फोरमैन 900 से 1100 रु० प्रति माह वेतन दिया जाए।

(च) हैल्पर 800 रु० से 1000 रु० प्रतिमाह वेतन दिया जाए।

(छ) चौकीदार 800 रु० से 1000 रु० प्रतिमाह वेतन दिया जाए।

(ज) सामान्य इन्क्रीमेंट 15 प्रतिशत दी जाए।

(झ) यूनियन के आफिस के लिए एक कमरा दिया जाए तथा नोटिस के लिए नोटिस बोर्ड दिया जाए।

2. क्या कामगारों की हड़ताल कानूनी है, यदि हां तो किस सहायता के हकदार हैं।"

शिमला-171002, 2 जुलाई, 1986

संख्या 8-16/80-भाग-II.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि श्रीमती मोहीनी बाला सुपुत्री राजा राम, एम०एल०सी०, (डेली वेज), ग्राम तथा डाकखाना दसूहा, तहसील अम्ब, जिला ऊना और सहायक अभियन्ता, विद्युत सब-डिवीजन, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, ऊना, हिमाचल प्रदेश के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है;

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत समझौता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सुनिश्चित हैं कि यह मामला श्रम न्यायालय को भेज देने योग्य है;

अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 12 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एतद्द्वारा इस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अन्तर्गत निर्मित श्रम न्यायालय को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अपना निर्णय देने के लिए भेजते हैं:—

"क्या श्रीमती मोहीनी बाला डेली वेज मीटर लैजर क्लर्क के पद से निकालना सही और न्यायसंगत है यदि नहीं तो श्रीमती मोहीनी बाला किस सहायता और निश्चित क्षतिपूर्ति धन राशि की पात्र है।"

आदेशानुसार,
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

विद्युत विभाग

शुद्धि पत्र

शिमला–171002, 6 फरवरी, 1986

संख्या विद्युत-छ (5) 3/85.—इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6-7 के अन्तर्गत नीचे दर्शायी गई अधिसूचनायें दिनांक 3-1-1986 को जो जारी की गई थीं, को दिनांक 3-2-1986 पढ़ा जाये।

अधिसूचनायें

नस्ति संख्या	दिनांक
1	2
1. विद्युत-छ (5)-5/85	3-1-86
2. " -1/85	"
3. " -34/85	"
4. " -3/85	"
5. " -33/85	"
6. " -59/85	"
7. " -30/85	"
8. " -49/85	"
9. " -58/85	"
10. " -47/85	"
11. " -44/85	"
12. " -26/85	"
13. " -45/85	"
14. " -53/85	"
15. " -48/25	"
16. " -28/85	"
17. " -51/85	"
18. " -52/85	"
19. " -56/85	"

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव (विद्युत)।

बहुद्देश्यीय परियोजना एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 अप्रैल, 1986

संख्या विद्युत-छ (5)-5/86.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी०सी०) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः 66 के० वी० लाइन आन्धा से नोगली तक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि नीचे विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, को जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों, उन के कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके में किसी भी

भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस द्वारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी ऐसा, हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, थिसल बैंक, शिमला-3 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला : शिमला तहसील : रोहड़ू

ग्राम	खसरा नं0	क्षेत्र (हैक्टेयर)		
1	2	3		
सैंजी	884/1	0	03	03
	885/1	0	00	77
	919/1	0	00	99
	446/1	0	00	21
	764/1	0	00	21
	405/1	0	00	14
	444/1	0	00	20
कूटू	200/1	0	00	81
	460/1	0	01	69
थमटाडी	555/1	0	00	81
	536/1	0	01	69
बछुछ	126/1	0	00	19
जघोठी	157/1	0	00	30
	266/1	0	00	32
कटेडी	796/1	0	01	00
जोली	433/1	0	00	91
सुगरी	162/1	0	01	21
	46/1	0	01	44
धमनोली	789/1	0	02	59
	731/1	0	01	05
	678/1	0	01	48
करालथ	111/1/1	0	01	05
धारकली	375/1	0	01	44
	52/1	0	01	90
चड़गांव	1358/1065/611/1	0	01	48
	558/1	0	00	74
सुन्धाभोडा	250/1	0	00	74
मसली	694/1	0	00	37
	695/1	0	00	37
	907/1	0	01	48
	555/1	0	02	22
डिसवानी	2256/640/1	0	00	37
	415/1	0	00	37
कुल किस्ता ..	33	0	33	57

आदेश द्वारा,
कैलाश चन्द महाजन,
सचिव ।

राजस्व विभाग (पौंग बांध सैल)

अधिसूचना

शिमला-2, 13 जनवरी, 1986

संख्या 4-1/85-पौंग सैल.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः व्यास प्रोजक्ट के पौंग बांध रिजर्वेयर क्षेत्र के प्रयोगार्थ टीका बनूरी, हदबस्त 42, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा में स्थित भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में विनिर्दिष्ट किया गया है, उक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जिनका इससे सम्बन्ध है, घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, व्यास प्रोजैक्ट, तलवाड़ा को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वह उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश प्राप्त करें ।

3. भूमि का नक्शा भू-अर्जन समाहर्ता, व्यास प्रोजैक्ट, तलवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

विवरणी

जिला : कांगड़ा तहसील: देहरा

गांव	खसरा नं0	हदबस्त	क्षेत्र		
			एच0	आर0	एस0
1	2	3	4	5	6
बनूरी	23	42	0	17	62
	25		0	03	60
	26		0	09	69
	27		0	02	42
	28		0	00	98
	29		0	03	23
	30		0	04	84
	31		0	01	00
	32		0	09	12
	33		0	04	61
	34		0	02	91
	35		0	03	85
	36		0	07	29
	37		0	07	78
	38		0	11	51
	39		0	12	56
	40		0	02	30
	41		0	09	87
	42		0	01	33
	43		0	03	38
	44		0	01	56
	45		0	01	33
	46		0	04	31
	47		0	01	29
	48		0	00	32
	49		0	01	21
	50		0	01	89
	51		0	01	39
	52		0	07	41
	53		0	02	68
	54		0	01	08
	55		0	00	25
	56		0	00	87
	57		0	00	45
	58		0	01	75
	59		0	02	39
	60		0	00	75
	61		0	02	68
	62		0	00	78
	63		0	01	13
	64		0	01	63
	65		0	00	85
	66		0	01	30
	67		0	01	04
	68		0	00	72
	69		0	00	70
	70		0	00	67

1	2	3	4	5	6
	71		0	00	72
	72		0	01	35
	73		0	02	77
	74		0	03	42
	75		0	00	88
	76		0	01	20
	77		0	04	65
	78		0	02	32
	79		0	03	13
	80		0	02	14
	81		0	11	49
	82		0	22	54
	107		0	13	41
	111		0	03	03
	112		0	17	97
	114		0	02	82
	163		0	00	15
	164		0	00	05
	165		0	01	65
	166		0	00	80
	167		0	01	90
	168		0	11	58
	169		0	01	12
	170		0	81	35
	171		0	06	08
	172		0	02	03
	173		0	09	54
		जोड़ . .	3	72	41

शिमला-2, 21 जनवरी, 1986

संख्या 4-25/83-पौंग कक्ष.—हिमाचल प्रदेश सरकार लोक व्यय पर लोक प्रयोजन के लिए इसमें नीचे विनिर्दिष्ट भूमि अपेक्षित नहीं है।

अत: अब, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्राम रनियाल, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा के टीका रनियाल खास, हदबस्त सं0 110/3 में व्यास बांध के जलाशय क्षेत्र के लिए भूमि अर्जन की कार्यवाहियों को, जिनकी बाबत पंजाब सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिसूचना सं0 6969/बी0पी0ए0/3561/62, तारीख 1-4-63 को जारी की गई थी और पंजाब राजपत्र, तारीख 12-4-63 में प्रकाशित की गई थी और उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन पश्चात्वर्ती घोषणा, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना सं0 4-1/69-रैव-II, तारीख 18-1-69 द्वारा जारी की गई थी और तारीख 15-11-69 के हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की गई थी प्रत्याहृत करते हैं।

विनिर्देश

जिला : कांगड़ा तहसील : देहरा

ग्राम/टीका	खसरा नं0	हदबस्त नं0	क्षेत्र		
			क0	म0	एकड़
1	2	3	4	5	6
रनियाल	985/210	110/3	0	16	1.13
	213/1/1		0	19	

1	2	3	4	5	6
	211		2	19	
	357/2		4	16	
	358/2		2	19	
			11	19	

शिमला-2, 21 जनवरी, 1986

संख्या 4-25/83-पौंग कक्ष.—हिमाचल प्रदेश सरकार को लोक व्यय पर लोक प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट भूमि अपेक्षित नहीं है।

अत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्राम घलोर (प्रथम), तहसील देहरा, जिला कांगड़ा के टीका बल्ला आबा हदबस्त सं0 73/3 में व्यास बांध के जलाशय क्षेत्र के लिए भूमि अर्जन की कार्यवाहियों को, जिनकी बाबत पंजाब सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिसूचना सं0 24275/बी0पी0ए0-3561/62, तारीख 10-11-64 को जारी की गई थी और पंजाब राजपत्र, तारीख 20-11-64 में प्रकाशित की गई थी और उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन पश्चातवर्ती घोषणा, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना सं0 4-1/69-रैव-II, तारीख 18-1-69 द्वारा जारी की गई थी और हिमाचल प्रदेश तारीख 22-2-69 के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, प्रत्याहृत करते हैं।

विनिर्देश

जिला : कांगड़ा तहसील: देहरा

ग्राम/टीका	खसरा नं0	हदबस्त नं0	क्षेत्र		
			क0	म0	एकड़
1	2	3	4	5	6
घलोर बल्ला प्रथम भावा	4|2|1	73|3	2	0	0.99
	5|2|1		5	6	
	30|2|1		0	8	
	32|2|1		1	0	
	34|2|1		1	15	
		जोड़	10	9	

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

भाग 2—वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

निदेशालय, भू-एकत्रीकरण विभाग,
शुद्धि पत्र

शिमला-2, 26 फरवरी, 1986

संख्या राज0भू0ए0(प)-मण्डी 50/80.—इस विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना अधीन धारा 14(1) हमीरपुर 50/80-4643-90, दिनांक 30-4-1984 में क्रमांक संख्या 519-520-521-522 पर गांव कयाण रोपा, बध्याण, मनाहण, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी दर्शाये जा चुके हैं जो कि अब दोबारा अधिसूचना अधीन धारा 14(1) घुमारवीं 50/80 3382-3442, दिनांक 10-5-85 हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में क्रमांक संख्या 116-117-118-119 पर दर्शाये गए थे उसे रद्द समझा जावे।

हस्ताक्षरित/-
निदेशक,
भू-एकत्रीकरण विभाग।

कार्यालय उपायुक्त, चम्बा, जिला चम्बा

कार्यालय आदेश

चम्बा, 10 फरवरी, 1986

संख्या पी0एन0टी0-सी0एच0-10(147)/73-32.—यत: श्री जगत राम, प्रधान, ग्राम पंचायत बखतपुर, विकास खण्ड मैहला को इस कार्यालय आदेश संख्या पी0एन0टी0-सी0एच0-10(147)/73-5107 दिनांक 13 दिसम्बर, 1985 के द्वारा धारा 54(1) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 व नियम 77 हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के प्रावधानानुसार पंचायत निधि के दुरुपयोग के आरोप में कारण बताओ नोटिस दिया गया था और यह भी उपरोक्त श्री जगत राम, प्रधान से प्राप्त स्पष्टीकरण विचारोपरांत असन्तोषजनक पाया गया।

अत: मैं, एस0 सी0 नेगी, उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो कि मुझे धारा 54(1) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 के अधीन प्राप्त हैं एतद्द्वारा श्री जगत राम, प्रधान, ग्राम पंचायत बखतपुर को प्रधान पद से तत्काल निलम्बित करता हूं तथा आदेशित करता हूं कि उक्त श्री जगत राम अपने पद का कार्यभार उप-प्रधान, ग्राम पंचायत बखतपुर को तत्काल सम्भाल दें।

एस0 सी0 नेगी,
उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा।

कार्यालय जिलाधीश, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कारण बताओ नोटिस

धर्मशाला, फरवरी, 1986

संख्या पी0सी0एच0-ई0जी0आर0-1217.—क्योंकि श्री रमेश चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत ध्वाला, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा को वर्तमान पद ग्रहण करने से पूर्व की 5 वर्ष की अवधि के दौरान (जब वह पंचायत के प्रधान पद पर कार्यरत थे) निम्नलिखित विभिन्न दुराचरण के कार्य करने का दोषी पाया गया था:—

1. उन्होंने मास 3/79 से 6/85 तक पंचायत निधि की राशियां अनाधिकृत रूप से अपने पास रखी तथा इनका दुरुपयोग किया जब कि नियमानुसार वह कोई भी धनराशि अपने पास नहीं रख सकते थे। इससे ग्राम पंचायत को प्रधान द्वारा अनियमित रूप से रखी गई राशियों पर मिलने वाले ब्याज से वंचित होना पड़ा।

2. दिनांक 30-6-79 तथा 30-6-80 को प्राप्त ब्याज की राशि क्रमश: 18 रुपये 60 पैसे तथा 180 रुपये 26 पैसे को रोकड़ की आय की ओर दर्ज न करके व्यय की तरफ बकाया नकद से घटा कर राशि का दुरुपयोग किया।

3. दिनांक 27-2-80 से 24-9-80 तक सहकारी सभा से प्राप्त नकद राशि ब्याज मुबलिग 292 रुपये 73 पैसे का दुरुपयोग किया।

4. सहकारी सभा का बचत लेखा दिनांक 2-6-79 को अनियमित तौर पर खोलना तथा पंचायत के प्रस्ताव बिना सहकारी सभा व डाकघर के बचत लेखों से विभिन्न राशियां निकालना जो कि नियमों के विपरीत था।

5. पंचायत निधि से किए गए विभिन्न कार्यों पर मुबलिग 5011 रुपये 40 पैसे के व्यय की पंचायत से स्वीकृति प्राप्त न करना।

6. मुबलिग 12289 रुपये 91 पैसे की धनराशि सभा निधि से बिना स्वीकृति विभिन्न योजनाओं पर व्यय करना जिनके लिए अनुदान प्राप्त हुआ था।

7. दिनांक 31-8-85 को सभा निधि मु0 335 रुपये 52 पैसे घटे में कर दी गई।

अत: मैं, हीरा लाल नाशाद, अतिरिक्त जिलाधीश, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (अधिनियम संख्या 19 वर्ष 1970) की धारा 57 तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली 1971 के नियम, 70 के अधीन उक्त श्री रमेश चन्द, प्रधान को इस नोटिस द्वारा सूचित करता हूं कि वह उपरोक्त बारे अपना स्पष्टीकरण इस कार्यालय को 15 दिन के भीतर-भीतर प्रेषित करें कि उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही क्यों न व्यवहार में लाई जावे। इस अवधि के भीतर यदि उनका उत्तर प्राप्त न हुआ तो यह समझा जायेगा कि उन्हें इस बारे कुछ नहीं कहना तथा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

हीरा लाल नाशाद,
अतिरिक्त जिलाधीश, कांगड़ा।

कार्यालय जिला, दण्डाधिकारी, जिला किन्नौर, कल्पा

कार्यालय आदेश

कल्पा, 26 जुलाई, 1986

नं0 कनर-100/63-1-2009-13.—ग्राम पंचायत चारंग, विकास खण्ड पूह, तहसील पूह, जिला किन्नौर ने प्रस्ताव संख्या III, दिनांक 15 मई, 1986 द्वारा चारंग में पशु फाटक की स्वीकृति मांगी है।

अत: मैं, विवेक श्रीवास्तव, जिला दण्डाधिकारी, जिला किन्नौर, कल्पा उन अधिकारों के अधीन जो कि मुझे धारा 4 पशु फाटक अवैध प्रवेश अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत प्राप्त हैं मैं ग्राम सभा क्षेत्राधिकार चारंग के समस्त ग्रामों के लिए ग्राम चारंग में पशु फाटक स्थापित करता हूं जिस की व्यवस्था ग्राम पंचायत चारंग धारा 18(1) (एफ) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुसार करेगी।

विवेक श्रीवास्तव,
जिला दण्डाधिकारी, किन्नौर; कल्पा।

कार्यालय जिलाधीश, मण्डी, हिमाचल प्रदेश

आदेश

मण्डी, 15 जनवरी, 1986

संख्या पी0सी0एन0-233-8(1)/63-271-276.—क्योंकि श्री सिधु राम, प्रधान, ग्राम पंचायत धर्मपुर, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी को पंचायत निधि के अपहरण/छतहरण के मामलों में संलिप्त होने के कारण उन्हें इस कार्यालय के आदेश संख्या पी0सी0एन0-मण्डी 233-8(1)/63-1205-1211, दिनांक 26 मार्च, 1985 के अन्तर्गत प्रधान पद, ग्राम पंचायत धर्मपुर, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला मण्डी से निलम्बित किया गया था।

और क्योंकि वे ग्राम पंचायत धर्मपुर के मास सितम्बर, 1985 के चुनाव में पुन: प्रधान पद पर निर्वाचित हुए हैं तथा उन का प्रधान पद, ग्राम पंचायत धर्मपुर पर बने रहना उचित नहीं समझा जाता है।

अत: मैं, राजवन्त सन्धु, जिलाधीश मण्डी उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 57 के अन्तर्गत निहित हैं, श्री सिधु राम, प्रधान, ग्राम पंचायत धर्मपुर, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी को प्रधान पद, ग्राम पंचायत धर्मपुर, से निलम्बित करती हूं तथा आदेश दिया जाता है कि यदि उन के पास पंचायत की कोई सम्पत्ति हो तो वे तुरन्त उप-प्रधान, ग्राम पंचायत धर्मपुर को सौंप दें तथा पंचायत को किसी प्रकार की कार्यवाही में भाग न लें।

मण्डी, 15 जनवरी, 1986

संख्या पी0 सी0 एन0-मण्डी-14-10/83-264-270.— क्योंकि ब्रह्मा नन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत भराड़ू, विकास खण्ड द्रंग, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी को अतिरिक्त जिलाधीश, मण्डी, के कार्यालय आदेश संख्या पी0 सी0 एन0-मण्डी-14-10/63-4561-66, दिनांक 31-8-85 के अन्तर्गत पंचायत निधि अपहरण/दुरुपयोग

के मामलों में प्रधान पद, ग्राम पंचायत भराड़ू, तहसील जोगिन्द्रनगर, से निलम्बित किया गया था।

और क्योंकि ब्रह्मा नन्द मास सितम्बर, 1985 के पंचायत चुनाव में पुनः प्रधान पद, ग्राम पंचायत भराड़ पर निर्वाचित हो चुके हैं तथा उन का प्रधान पद, ग्राम पंचायत भराड़ू पर बने रहना उचित नहीं समझा जाता है।

अतः मैं, राजवन्त सन्धु, जिलाधीश मण्डी उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझ में पंचायत अधिनियम, 1968 की धारा 57 के अन्तर्गत निहित हैं श्री ब्रह्मा नन्द को प्रधान पद, ग्राम पंचायत भराड़ू से निलम्बित करती हूं तथा आदेश दिया जाता है कि उन के पास पंचायत की यदि कोई चल सम्पति हो तो उसे तुरन्त उप-प्रधान, ग्राम पंचायत भराड़ू को सौंप दिया जाये। उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे निलम्बन काल में पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग न लें।

राजवन्त सन्धु,
जिलाधीश, मण्डी।

INDUSTRIES DEPARTMENT

PUBLICATION UNDER SECTION 24 OF THE ACT

Kullu, the 2nd November, 1985

No. Ind./Loan/31/9975-78.—Whereas a notice was served on Smt. Chhering Dolma w/o Shri Chhering Nimee, V. & P. O. Bhuntar, on 1-1-83 under section 23/27 of the Himachal Pradesh State Aid to Industries Act, 1971 calling upon the said Smt. Chhering Dolma to pay to me the sum of Rs. 1000/-(rupees one thousand only) plus interest on or before 31-1-83 and whereas the said sum has not been paid, I hereby declare that the sum of Rs. 1000/-(rupees one thousand only) plus interest is due from the said Smt. Chhering Dolma and that the property described in the attached schedule is liable for the satisfaction of the said debt.

SCHEDULE

All assets present and to be hereinafter acquired by the loanee whether the said assets are now or in future in her name including book debts, stocks, shares and premises, machinery and equipment whether existing or to be purchased with the aid of loan or a part thereof and any other personal security of the loanee or sureties S/Shri Dorje s/o Shri Budh Ram, r/o V.&P.O. Bhuntar and Shri Gilu s/o Shri Bhiku. r/o Sharabai Kothi, Khokhan.

S. P. GIAMZO,
General Manager,
District Industries Centre,
Kullu, H.P

PUBLICATION UNDER SECTION 24 OF THE ACT

Kullu, the 7th November, 1985

No. Ind./Loan/742/10062-65.—Whereas a notice was served on Shri Nand Lal s/o Shri Panchi Ram, V. & P. O. Samshi on 25-8-1982 under section 23/27 of the Himachal Pradesh State Aid to Industries Act, 1971 calling upon the said Shri Nand Lal to pay to me the sum of Rs. 1108.35 (rupees one thousand one hundred eight and thirty-five paise only) plus interest on or before 19-9-82 and whereas the said sum has not been paid, I hereby declare that the sum of Rs. 1709.60 upto date is due from the said Shri Nand Lal and that the property described in the attached schedule is liable for the satisfaction of the said debt.

SCHEDULE

All assets present and to be hereinafter acquired by the loanee whether the said assets are now or in future in his name including book debts, stocks, shares and premises, machinery and equipment whether existing or to be purchased with the aid of loan or a part thereof and any other personal security of the loanee or sureties S/Shri Govind Singh s/o Shri Durga Singh, r/o Vill. & P. O. Shamshi and Shri Ram Nath s/o Shri Ram Chand, r/o Vill. & P. O. Manali.

S. P. GIAMZO,
General Manager,
District Industries Centre,
Kullu, H.P.

PUBLICATION UNDER SECTION 24 OF THE ACT

Kullu, the 29th November, 1985

No. Ind./Loan/733-10501-04.—Whereas a notice was served on Shri Ramesh Kumar Prop. M/s Radiant Wood Works, Akhara Bazar, Kullu on 23-12-1982 under section 23/27 of the Himachal Pradesh State Aid to Industries Act, 1971 calling upon the said Shri Ramesh Kumar to pay to me the sum of Rs. 1700/- plus interest on or before 31-1-1983 and whereas the said sum has not been paid, I hereby declare that the sum of Rs. 2200/- plus Rs. 73.48/20 (upto date interest) is due from the said Shri Ramesh Kumar and that the property described in the attached schedule is liable for the satisfaction of the said debt.

SCHEDULE

All assets present and to be hereinafter acquired by the loanee whether the said assets are now or in future in his name including book debts, stocks, shares and premises, machinery and equipment whether existing or to be purchased with the aid of loan or a part thereof and any other personal security of the loanee.

S. P. GIAMZO,
General Manager,
District Industries Centre,
Kullu, H. P.

PUBLICATION UNDER SECTION 24 OF THE ACT

Kullu, the 29th November, 1985

No. Ind./Loan/10513-16.—Whereas a notice was served on Shri Tashi Ram s/o Shri Ram Dyal, Vill. Ciyal, P.O. Manali, on 27-12-1982 under section 23/27 of the Himachal Pradesh State Aid to Industries Act, 1971 calling upon the said Shri Tashi Ram to pay to me the sum of Rs. 1000/- plus interest on or before 31-1-83 and whereas the said sum has not been paid, I hereby declare that the sum of Rs. 7000/- plus interest upto date is due from the said Shri Tashi Ram and that the property described in the attached schedule is liable for the satisfaction of the said debt.

SCHEDULE

All assets present and to be hereinafter acquired by the loanee whether the said assets are now or in future in his name including book debts, stocks, shares and premises, machinery and equipment whether existing or to be purchased with the aid of loan or a part thereof and any other personal security of the loanee.

S. P. GIAMZO,
General Manager,
District Industries Centre,
Kullu, H. P.

PUBLICATION UNDER SECTION 24 OF THE ACT

Kullu, the 28th February, 1986

No. Ind/Loan/505-757-59.—Whereas a notice was served on Shri Tashi Ram s/o Shri Salo Ram, Village Jater, P. O. Katrain on 24-12-82 under section 23/27

of the Himachal Pradesh State Aid to Industries Act, 1971 calling upon the said Shri Tashi Ram to pay to me the sum of Rs. 400/- plus interest on or before 31-1-83 and whereas the said sum has not been paid, I hereby declare that the sum of Rs. 400/- plus interest is due from the said Shri Tashi Ram and that the property described in the attached schedule is liable for the satisfaction of the said debt.

SCHEDULE

All asssets present and to be hereinafter acquired by the loanee whether the said assets are now or in future in his name including book debts, stocks, shares, premises, machinery and equipment whether existing or to be purchased with the aid of loan or a part thereof and any other personal security of the loanee or sureties S/Shri Durga Singh s/o Anant Ram, Vill. Chajogi, P. O. Naggar and Megh Singh s/o Roop Dass, Vill. Jater, P.O. Katrain.

S. P. GIAMZO,
General Manager,
District Industries Centre,
Kullu, H. P.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that the land is required to be taken by the Government at public expense for a public purpose*. It is hereby declared that the land described in the specification below is required for the said* purpose.

The declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern and under the provisions of section 7 of the said Act, the Collector, Land Acquisition, Himachal Pradesh P. W. D. is hereby directed to take order for the acquisition of the said land.

3. A plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Land Acquisition, H. P. P.W.D., Shimla-3.

**Construction of Chawai-Khanag road.*

No. SE-II-R-54-5/85-20051-55.
Shimla, the 20th November, 1985.

SPECIFICATION

District: KULLU *Tehsil*: ANNI

Village 1	Khasra No. 2	Area Big. 3	Area Bis. 4
KHANI	1317/1	0	12
	1316/1	0	2
	1144/1	0	12
	1143/1	0	1
	1075/1	0	6
	1078/1	1	1
	1074/1	0	2
	1074/2	0	2
	1071/1	0	7
	1072/1	0	3
	1063	0	6
	1061/1	0	1
	1064/1	0	8
	1027/1	0	2
	1030/1	0	6
	1028/1	0	3
	1029/1	0	4
	1021/1	0	3
	1023/1	0	1
	1022	0	8
	929/1	0	1
	813/1	0	2
	812/1	0	9
	814/1	0	3
	822/1	0	13
	824/1	0	1
	823/1	0	1
	827/1	0	13
	802/1	0	7
	699/1	0	10
	698/1	0	1
	701/1	0	5
	700/1	0	4
	703/1	0	1
	704/1	0	5
	2463/1	0	1
	2461/1	0	1
	2457/1	0	14
	2458/1	0	13
	1993/1	0	5
	2019/1	0	4
	2018/1	0	2
	2017	0	10
	1995/1	0	8
	1997/1	0	3
	1996/1	0	1
	1998/1	0	5
	1999/1	0	5
	1986/1	0	2
	1985/1	0	1
	1970/1	0	7
	1967/1	0	13
Total kitta ..	53	14	0

No. SE-II-R-54-5/85-20056-60.

Shimla-3, the 20th November, 1985.

KOILA	3560/1	0	15
	3546/1	0	1
	3558 Salam	0	4
	3552/1	0	2
	3559/1	0	1
	3553/1	0	1
	3556/1	0	4
	3555/1	0	2
	3590/1	0	1
	3785/1	0	1
	3731/1	0	4
	3732/1	0	8
	3730/1	0	1
	3733/1	0	2
	3737/1	0	1
	3737/2	0	3
	3743/1	0	1
	3741/1	0	8
	3742/1	0	5
	3709/1	0	14
	3708/1	0	2
	3694/1	0	3
	3695/1	0	9
	3696/1	0	17
	3697/1	0	13
	3736/1	0	13
Total kitta ..	26	6	16

District: SHIMLA *Tehsil*: JUBBAL

**Construction of Anti-Shabar road.*

No. SE-II-R-54-2/85-20349-53.

Shimla, the 22nd November, 1985.

BOHARAR	37/2/1	0	1
	46/1	1	5
	114/66/1	0	4
	34/1	0	3
	48/1	0	18
	65/1	0	5

1	2	3	4
	113/66/1	0	18
	20/1	0	12
	38/1	0	1
	37/1/1	1	11
	125/33/1-2	0	12
	123/17/1	0	3
	64/1	0	6
	102/12/1	0	11
	16/1	0	5
	79/3/1	1	6
	79/2/1	0	5
	15/1	0	15
Total kitta ..	19	9	11

No. SE-II-R-54-2/85-20339-43.
Shimla, the 22nd November, 1985.

JHATRI KANOT	441/78/1	0	1
	610/204/1	1	1
	637/499/205/1	0	17
	611/204/1	0	13
	205/1/1	0	6
	502/206/1	1	5
Total kittas ..	6	4	3

No. SE-II-R-54-2/85-29344-48.
Shimla-3, the 22nd November, 1985.

CHEANG DHARMANA	341/1	0	17
	725/616	0	1
	339/1	1	6
	340/1	0	5
	333/1	0	2
	600/1	0	2
	723/615/1	0	1
	329/1	0	2
	330/1	0	5
	361/1	1	4
	599/1	0	7
	601/1	0	1
	717/612	0	1
	727/617/1	0	1
	729/618/1	0	1
	715/611/1	0	2
	400/1	0	6
	713/610	0	1
	331/1	0	4
	360/1	0	17
	587/1	0	4
	731/603	0	2
	358/1	1	0
	602/1	0	1
	719/613/1	0	1
	721/614/1	0	1
	751/692/619/1	3	19
	328/1	0	6
	338/1	2	4
	702/699/640/1	5	4
	701/641/1	0	9
	701/641/2	16	1
	701/641/3	0	7
	300/1	1	11
Total kitta ..	34	37	16

S. K. AGGARWAL,
Superintending Engineer,
2nd Circle, H.P. P.W.D., Shimla-3.

Hamirpur, the 6th January, 1986

No. SE-VIII/W-3/LA-HMR/85-557-62.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that land is likely to be required to be taken by the Himachal Pradesh Government at the public expense for a public purpose, namely for the construction of approach road to Gasoti Khad bridge on HamirpurJ-ahu Road in km 7, it is hereby notified that land in the locality described below is likely to be acquired for the above purpose.

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested, who has any objection to acquisition of the said land in the locality may, within thirty days of the publication of this notification, file an objection in writing before the Land Acquisition Collector, H.P. P.W.D., Hamirpur.

SPECIFICATION

District: HAMIRPUR *Tehsil*: HAMIRPUR

Mauza	Tikka	Khasra No.	Area K.	M.
1	2	3	4	5
UGIALTA	LAMB-LOO	1007/903/1	0	16
		902/750/1	0	04
		901/750/1	0	12
		900/750/1	0	15
		751/1	0	06
		752/1	0	11
		907/753/1	0	05
		779/1	1	02
		780	0	02
		782	0	01
		783/1	0	01
Total ..			4	15

P. C. BISHT,
Superintending Engineer,
8th Circle, H.P.P.W.D., Hamirpur

IRRIGATION AND PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Una, the 21st June, 1986

No. SE-IPHU/L.A./Paper/86-3035-38.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that land is likely to be required to be taken by the Himachal Pradesh Government at public expense for a public purpose namely for c/o Tubewell No. 39 at Kathari, it is hereby declared that the land in the locality described below is likely to be acquired for the said purpose.

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested, who has any objection to the acquisition of any land in the locality may, within 30 days of the publication of this notification, file an objection in writing before the Collector of Land Acquisition, H.P P. W. D., Hamirpur.

SPECIFICATION

District: UNA *Tehsil*: AMB

Village	Khasra No.	Area K.	M.	Remarks
1	2	3		4
KUTHIARI	2958/2425	0	8	Banjar Kadeem
	2959/2425	0	5	Banjar Kadeem
	Total ..	0	13	

S. P. SHARMA,
Superintending Engineer,
I & P H Circle, Una.

भाग 3—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेन्शल कमिश्नर, कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि

बहुद्देश्यीय परियोजना एवं विद्युत विभाग

अधिसूचनायें

शिमला-171 002, 25 अप्रैल, 1986

संख्या एम0पी0पी0(2)-56/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार आशुलिपिक के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत निरीक्षणालय आशुलिपिक (वर्ग 3 पद) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1986 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत होंगे।

उपाबन्ध "क"

हिमाचल प्रदेश विद्युत निरीक्षणालय में आशुलिपिक के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम	आशुलिपिक
2.	पदों की संख्या	1 (एक)
3.	वेतनमान	570-15-600/20-700/25-850-30-1080 रुपये
4.	वर्गीकरण	श्रेणी-3 (तीन)
5.	चयन पद अथवा अचयन पद।	अचयन
6.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु।	18 से 32 वर्ष तक परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा उन अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी जो पहले से सरकार की सेवा में हैं: परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों तथा अन्य वर्गों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है: परन्तु यह और कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सम्बन्धी ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी जो उक्त निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा बाद में भर्ती किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् उन निगमों/स्वायत्त निकायों में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं।

टिप्पणी-1.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना आयोग द्वारा आवेदन प्राप्त करने/आयोजन कार्यालय से पात्र अभ्यर्थियों की सूची की प्राप्ति के लिए नियत अन्तिम तारीख से की जायेगी।

टिप्पणी-2.—अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु तथा अनुभव से सम्बन्धित अर्हता आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी।

7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	आवश्यक : (1) मैट्रिक; और (2) अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड और हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड और अंग्रेजी टंकण कला में 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड और हिन्दी टंकण-कला में 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड क्रमशः। वांछनीय : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में नियुक्ति विद्यमान भिन्न दशाओं को ध्यान में रखते हुए की जायेगी।
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकता है जैसी सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पणी.—जब कभी स्तम्भ-2 के अधीन पदों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की जाती है तो स्तम्भ 10 और 11 के उपबन्धों को सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से संशोधित किया जायेगा।

11.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिसमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।	लागू नहीं
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना ।	लागू नहीं
13.	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा ।	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा ।	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का निम्नलिखित होना आवश्यक है :— (क) भारतीय नागरिक, या (ख) नेपाल की प्रजा, या (ग) भूटान की प्रजा, या (घ) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के आशय से आया हो, या (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देश कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मालवी, जेयर तथा इथोपिया से भारत म स्थायी निवास के आशय से प्रवास किया है : परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ), (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार/राज्य सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया हो । ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकेगा किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव तभी दिया जायेगा जब उसे भारत सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता है ।
15.	सीधी भर्ती द्वारा पद की नियुक्ति के लिए चयन ।	सीधी भर्ती के मामले में इन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर या यदि आयोग उचित या समीचीन समझे लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार अवधारित किया जायेगा ।
16.	आरक्षण	सेवा में नियुक्ति के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17.	शिथिल करने की शक्ति	जहां सरकार का यह विचार हो कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें अभिलिखित करके और लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

[*Authorised English text of this Government notification No. MPP-B* (2) 56/84, *dated* 25-4-1986 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

Shimla-2, the 25th April, 1986

No. MPP-B (2)-56/84.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post or Stenographer in the Department of Electrical Inspectorate, Himachal Pradesh, as per Annexure 'A' appended to this notification, namely:—

1. *Short title & commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Recruitment & Promotion Rules for the post of Stenographer (Class III Services) in the Department of Electrical Inspectorate, 1986.

(2) These rules shall come into force with immediate effect.

ANNEXURE—A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF STENOGRAPHER IN THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICAL INSPECTORATE

1.	Name of the post	Stenographer
2.	Number of posts	1 (One)
3.	Scale of Pay	Rs. 570-15-600/20-700-25-850-30-1080
4.	Classification	Class-III
5.	Whether selection or non-selection post.	Non-selection.
6.	Age for direct recruits	Between 18 and 32 years: Provided that upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government: Provided further that upper age limit is relaxable for scheduled castes/tribes candidates and other categories of persons to the extent permissible under general or special orders of the Himachal Pradesh Government: Provided that the employees of all the public sector Corporations and autonomous bodies who happened to be Government servants before absorption in public sector corporations/autonomous bodies at the time of initial constitution of such corporations/autonomous bodies, shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporations/autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/autonomous

	bodies and are/were finally absorbed in the services of such corporations/autonomous bodies after the initial constitution of the public sector corporations/autonomous bodies. *Note*-1.—Age limit for direct recruits will be reckoned from the last date fixed, for receipt of applications/lists of eligible candidates from Employment Exchanges by the Commission *Note*-2.—Age and experience fordirect recruits relaxable at the discretion of the commission in the case of candidates otherwise well qualified.	
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.	*Essential*: (*i*) Matric, and (*ii*) Should possess a speed of 100 words per minute of shorthand in English and 80 words per minute of shorthand in Hindi and with typewriting speed of 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi respectively. *Desirable*: Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.	
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.	
9. Period of probation, if any.	Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be reduced to writing.	
10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation/transfer and the percentage of vacancies to be filled by various methods.	100% by direct recruitment *Note.*—Provisions of rule 10&11 are to be revised by the Government in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, as and when the number of posts under rule 2 are increased.	
11. In case of recruitment by promotion, deputation/transfer grades from which promotion, deputation/transfer to be made.	Not applicable	
12. If a D.P.C. exists, what is its composition.	Not applicable.	
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	As required under law.	
14. Essential requirement for direct recruits.	A candidate for appointment to any service or post must be,— (*a*) a citizen of India, or (*b*) a subject of Nepal, or (*c*) a subject of Bhutan, or (*d*) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India, or (*e*) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India: Provided that a candidate belonging to categories (*b*) (*c*) (*d*) and (*e*) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government. A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India /Government of Himachal Pradesh.
15. Selection for appointment by direct recruitment:	Selection for appointment to these posts in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva voce* test, if Commission so consider necessary or expedient by a written test/a practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the Commission.
16. Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes /Backward Classes etc. issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Power to relax	Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be record in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person or post.

शिमला-2, 12 मई, 1986

संख्या एम0 पी0 पी0-बी0 (2) 58/84.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश विद्युत निरीक्षणालय विभाग में इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार, चालक के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत निरीक्षणालय चालक (वर्ग-3 पद) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1986 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उपाबन्ध "क"

हिमाचल प्रदेश विद्युत निरीक्षणालय में चालक (वर्ग-3 पद) के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम	चालक
2.	पदों की संख्या	2(दो)
3.	वेतन मान	400-10-450/15-525/15-600 रूपये।
4.	वर्गीकरण	वर्ग-3 (तीन)
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु।	18 से 32 वर्ष तक : परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा उन अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी जो पहले ही सरकार की सेवा में हैं : परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों तथा अन्य वर्गों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है : परन्तु यह और कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु संबंधी ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी जो उक्त निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा बाद में भर्ती किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात उन निगमों/स्वायत्त निकायों में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं।
		टिप्पणी-1.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना आयोग द्वारा आवेदन प्राप्त करने या नियोजनालय से पात्र अभ्यर्थियों की सूची की प्राप्ति को नियत अन्तिम तारीख से की जाएगी।
		टिप्पणी-2.—अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु तथा अनुभव से सम्बन्धित अर्हता आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी।
7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	(1) आठवीं पास या इसके समकक्ष ; (2) उसके पास चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। (3) उसके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से चालन प्रमाण-पत्र होना चाहिए। (4) पहाड़ी क्षेत्र में हल्के वाहन चलाने का दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विलक्षण दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगीं या नहीं।	लागू नहीं।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकता है जैसी कि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10.	भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/प्रति नियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	सौ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
		टिप्पणी.—जब कभी स्तम्भ-2 के अधीन पदों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की जाती है, तो स्तम्भ 10 और 11 के उपबन्धों को सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से संशोधित किया जाएगा।
11.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।	लागू नहीं।
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना।	जैसी कि सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13.	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा — किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का निम्नलिखित रूप में होना आवश्यक है :—

(क) भारतीय नागरिक ; या
(ख) नेपाल की प्रजा; या
(ग) भूटान की प्रजा; या
(घ) तिब्बती शरणार्थी, जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के आशय से आया हो; या
(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, पूर्वी अफ्रीका के देश कीनिया, यूगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जांबिया, मालवी, जेयर तथा इथोपिया से भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रवास किया है :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ), (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिन के पक्ष में भारत सरकार/राज्य सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया हो । ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सके किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव तभी दिया जायेगा जब उसे भारत सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद की नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में इन पदों पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर या यदि आयोग उचित या समीचीन समझे लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षण के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार अवधारित किया जायेगा ।

16. आरक्षण.—सेवा के लिए नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. शिथिल करने की शक्ति.—जहां सरकार का यह विचार हो कि ऐसा करना आश्वयक या समीचीन है वहां वह उस के लिए जो कारण हैं उन्हें अभिलिखित करके और लोक सेवा आयोग से परामर्श कर के इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

आदेशानुसार,
कैलाश चन्द महाजन,
सचिव ।

[*Authorised English text of this Government notification No. MPP-D* (2) 58/84, *dated* 12-5-1986 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

M.P.P. & POWERS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 12*th May*, 1986

No MPP-B (2) 58/84.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Driver in the Department of Electrical Inspectorate, Himachal Pradesh, as per Annexure "A" appended to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called Himachal Pradesh Recruitment and Promotion Rules for the post of Driver (Class III Services) in the Department of Electrical Inspectorate, 1986.

(2) These rules shall come into force with immediate effect.

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DRIVERS (CLASS-III) IN THE DEPARTMENT OF ELECTRICAL INSPECTORATE HIMACHAL PRADESH

1.	Name of post	Driver
2.	Number of posts	2
3.	Classification	Class-III
4.	Whether selction or non-selection post.	Non-Selection
5.	Scale of pay	Rs. 400-10-450/15-525-600
6.	Age for direct recruitment.	Between 18 and 32 years.

Provided that upper age-limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in the service of the Government:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheuled Castes/Tribes candidates and other categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employee of all the public sector corporations and autonomous bodies who happened to be Government servants before absorption in public sector corporations/autonomous bodies at the time of initial constitution of such corporations/autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporations/autonomous bodies who were/are subsequenty appointed by such corporotions/autonomous bodies and are/were finally absorbed in the service of such corporations/autonomous bodies after the initial constitution of the public sector corporations/autonomous bodies.

Note 1.—Age limit for direct recruits will be reckoned from the last date fixed for receipt of applications/list of eligible candidates from Employment Exchanges by the Commission.

Note 2.—Age and experience for direct recruits relaxable at the discretion of the Commission in the case of candidates otherwise well-qualified.

7. Minimum educational qualifications required for direct recruits. — *Essential*: (*i*) Middle pass or its equivalent;
(*ii*) should possess a valid driving licence;
(*iii*) should possess a certificate of driving from I.T.I. or from any other recognised institution; and

	(*iv*) Two years experience of driving light vehicles in hilly area. *Desirable* : Knowledge of customs, manners and dialects of H.P. and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions	Not applicable.
9. Period of probation, if any.	Two years, subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/deputation/transfer and the percentage of vacancies by each method.	100% by direct recruitment. *Note* 1.—Provisions of Rule 10 and 11 are to be revised by the State Government in consultation with the H.P. P.S.C., asa nd when the number of posts under rule 2 are increased or decreased.
11. In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grade from which promotion/deputation/transfer to be made.	Not applicable.
12. If a D.P.C. exists, what is its composition.	As may be constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the H.P. Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	As required under law.
14. Essential requirement for direct recruits.	A candidate for appointment to any service or post must be:— (*a*) a citizen of India, or (*b*) a subject of Nepal, or (*c*) a subject of Bhutan, or (*d*) a Tibeten refugee who came over to India before the 1st of January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or (*e*) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, SriLanka, East African countries of Kenya, Uganda the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malawi, Zaire and Etheopia with the intension of permanently settling in India: Provided that a candidate belonging to categoreis (*b*), (*c*), (*d*) and (*e*) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India/State Government. A candidate in whose case a certificate of eligibilit yis necessary may be admitted to an examination/interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India/Government of Himachal Pradesh.
15. Selection for appointment by direct-recruitment.	Selection for appointment to these posts in case of direct recruitment shall be made on the basis of a *viva voca* test or if the commission so considers necessary orexpedient, by a written test or by a practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the commission.
16. Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes etc. issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Power to relax	Where the Government is of the opinion, that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person or post.

By order,
K. C. MAHAJAN,
Secretary.

भाग 4—स्थानीय स्वायत शासन : म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 17 दिसम्बर, 1984

संख्या पी0 सी0एच0-एच0 ए0(5)-5/76.—क्योंकि श्री राम दास, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सलोह, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश पर श्री रणवीर सिंह, ग्राम सलोह को इण्टों का भट्ठा लगाने हेतु (No Objection Certificate) देने का आरोप है ;

और क्योंकि उक्त श्री राम दास को इस आरोप हेतु निलम्बना एवं कारण बताओ नोटिस इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश, दिनांक 18-11-83 के अन्तर्गत दिया था और इस सम्बन्ध में प्राप्त उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है ;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री राम दास को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (ई) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सलोह के उप-प्रधान पद से निलम्बन के सहर्ष आदेश देते हैं।

शिमला-171002, 24 मई, 1985

संख्या पी0सी0एच0-एच-ए(5)5/76.—क्योंकि श्री राम दास उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सलोह, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना को श्री रणवीर सिंह, ग्राम सलोह को इन्टों का भट्ठा लगाने हेतु (No Objection Certificate) देने के आरोप में इस कार्यालय के आदेश संख्या पी0 सी0 एच0-एच0ए0(5)-5/76, दिनांक 17-12-84 द्वारा निलम्बित किया गया था ;

और क्योंकि श्री राम दास ने उक्त निलम्बन के विरुद्ध अपील की थी जिस पर विचार करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वास्तव में श्री राम दास इस तरह का प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार नहीं रखता था परन्तु इस कोताही के लिए निलम्बन एक बहुत बड़ा दण्ड समझा गया।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54( ) में प्राप्त है, श्री राम दास उप-प्रधान के उपरोक्त निलम्बन आदेशों को समाप्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं तथा भविष्य में उन्हें सतर्क रहने की चेतावनी भी देते हैं ताकि वह अपने सीमित अधिकारों तक ही अपने पद का प्रयोग करें।

हस्ताक्षरित/-,
अवर सचिव।

शिमला-171002, 24 मई, 1985

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)230/76.—क्योंकि श्री नन्द लाल प्रधान, ग्राम पंचायत मैहड़ी तथा अन्य 12 लोगों ने उप-प्रधान श्री बंशी राम के विरुद्ध अनियमितता तथा गबन के कुछ आरोप लगाये थे जिस पर अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, ऊना ने जांच की थी;

क्योंकि अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, ऊना ने अपनी जांच की रिपोर्ट में यह बात कही है कि किसी विशेष पदाधिकारी को सिद्ध आरोपों पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता और उसके लिए पंचायत के सभी पदाधिकारी जिम्मेदार हैं ;

और क्योंकि अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी पदाधिकारी विशेष के विरुद्ध कार्यवाही करना सम्भव नहीं।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन अधिकारों के अन्तर्गत जो उन्हें पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) में प्राप्त हैं वास्तविकता को जानने के लिए जिला पंचायत अधिकारी ऊना को इस मामले में जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश, ऊना के माध्यम से शीघ्र इस विभाग को भेजेंगे।

हस्ताक्षरित/-
निदेशक।

आदेश

शिमला-2, 23 दिसम्बर, 1985

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(4)-75/76-4.—यतः गांव का क्षेत्र अर्थात् गांव डंगयार, गुम्मा, कामली तथा अम्बोटा (ग्राम सभा टकसाल) आंशिक रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार स्थानीय स्वशासन विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना एल0एस0जी0ए0(4)-1/78, दिनांक 15-1-1979 द्वारा अधिसूचित क्षेत्र परमाणु में सम्मिलित किया गया है;

और यतः कथित क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र परमाणु में सम्मिलित किए जाने से उक्त ग्रामों का ग्राम सभा टकसाल अधिसूचित क्षेत्र परमाणु में विभाजन हो गया है ;

और यतः उक्त ग्राम के भाग जो कि अधिसूचित क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में समाविष्ट नहीं हुए हैं अब हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 4 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत ग्राम सभा में समाविष्ट करने हेतु अलग गांव घोषित किए जाने अपेक्षित हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 को धारा 3(1) एफ0एफ0 के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त गांव के असमाविष्ट को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार उपरोक्त अधिनियम की धारा 4(1) के प्रयोजनार्थ सहर्ष पृथक गांव घोषित करते हैं :—

अनुसूची

2. अधिसूचित क्षेत्र परमाणु में आंशिक रूप में समाविष्टी से जो गांव प्रभावित हुआ का नाम—डंगयार

क्रमांक	कोष्ठ नं0 2 में वर्णित गांव के खसरा नम्बरात अधिसूचित क्षेत्र में नहीं आये अर्थात ग्राम सभा में मिलाये जाते हैं	कुल क्षेत्र		कोष्ठ 3 तथा 4 विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए इस घोषणा आदेश द्वारा रखा गया नाम
1	3	4		5
		बीघा	बिस्वा	
1.	4, 5, 38, 39, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 8011 8012, 801111, 801212, 801211, 801312, 801311, 8111, 8611, 99, 107, 108 110, 117, 11811, 148, 123, 126, 6 7, 18, 132118. 22, 23, 24, 25, 2611, 27, 28, 29, 30, 3111, 3112, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ता 56. 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 128175, 127175, 76, 7711, 7712 8612, 145/133, 13411, 1451134, 13512, 1461 103, 471103, 106, 1291 112, 1301112, 114, 115, 149, 121, 1811121.	142	10	डंगयार (गांव क्षेत्र)
	2. ग्राम : गुम्मा			
2.	1 ता 24 मिन तक, 29, 31, 35, 37 मिन, 38 मिन, 4111, 43, 45, 47 मिन, 48, 501 2, 52 मिन, 53, 54. 5412, 55, 64 मिन, 14816511 14816512, 165166, 166166, 69, 1501701111, 150170/2, 1501701 211, 1501701212, 1511 7011, 15117012, 7111, 7212, 7411, 74, 7811, 7812, 79, 8011, 8012, 801211, 801212, 8013, 8014, 8015, 8017, 81, 8211, 821211, 8311, 831211, 861212, 8411, 8611, 8811, 89, 901 1, 9012, 9111, 9411, 9511, 9611, 9612, 9711, 9911, 10211, 103, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 1171451 37, 12 मिन, 32 मिन, 65 मिन, 118 ता 14013 तक बाकी रहे।	750	12	गुम्मा (ग्राम क्षेत्र)

1	2	3	4
		बीघा विस्वा	
	2. ग्राम: कामली	1043 16	
3	711, 177।811, 911, 912, 1111, 20, 22, 188।23, 174।76, 175।26, 27 ता 61 तक, 18।62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 मिन ता 162 तक बाकी रहे।		कामली (ग्राम क्षेत्र)
	2. ग्राम : अम्बोटा		
4	1 ता 67 तक और 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ता 224, 235, 236, 237, 239, 243, 250, 265, 266, 279, 287, 289, 291, 293, 294, 295, 296, 317, 320, 322, 325, 327, 330, 365, 367, 368, 369, 301, 386, 391, 398, 401, 402, 406, 410, 411, 412, 413, 425, 426, 430, 435, 436, 439, 440, 444, 449, 451, 456 457, 458, 460, 461, 463, 465, 466, 467, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481 ता 549 तक और 551 ता 964 तक बाकी रहा बाकी और 966 ता 1020 खसरा नं0 तक।	2820 10	अम्बोटा (ग्राम क्षेत्र)

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 7 मई, 1986

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(4) 16/76-12.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4(1) तथा 5(1) के अन्तर्गत प्राप्त है, जिला कांगड़ा के विकास खण्ड पंचरुखी की ग्राम सभा गंगोटी का नाम बदल कर ठिकरी डूहकी रखने का सहर्ष आदेश देते हैं।

शिमला-2, 7 मई, 1986

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0ए0(4) 16/76-12.—अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(4) 16/76-7, दिनांक 28-10-83, जो जिला कांगड़ा की मुहालबन्दी के बारे में है, में निम्नलिखित शुद्धियां की जायें :—

विकास खण्ड का नाम : देहरा

विकास खण्ड की क्रम संख्या	ग्राम सभा की क्रम संख्या	ग्राम सभा का नाम	शुद्धि का विवरण
1	2	3	4
4	3	बरोगलाह	कोष्ठ संख्या 4 के नीचे अंकित क्रम संख्या 7, 19 तथा 20 पर अंकित मुहाल कलाल लाहड़, पठियाल लाहड़ तथा गठियाल लाहड़ को हटाया जाये और मुहालों की संख्या को 1 से 17 कर दिया जाये।
4	26	डोलखरयाना	कोष्ठ संख्या 4 के नीचे एक और मुहाल "रिजर्व जंगल खालग" क्रम सं0 23 के रूप में जोड़ दिया जाये।
4	31	त्रिपल	कोष्ठ संख्या 4 के नीचे एक और मुहाल "रिजर्व जंगल धार पनयाली" क्रम संख्या 17 के रूप में जोड़ दिया जाये।
4	8	अम्ब पठियार	कोष्ठ संख्या 4 के नीचे एक और मुहाल "काली धार" क्रम सं0 6 के रूप में जोड़ दिया जाये।
4	41	सियालकड़	कोष्ठ संख्या 4 के नीचे अंकित क्रम संख्या 8 के मुहाल "मनेरा बलड़ा" को मनेरा पढ़ा जाये तथा एक और मुहाल "बलड़ा" क्रम संख्या 18 के रूप में जोड़ दिया जाये।
4	43	चौकी ढोरियां (मझीया)	कोष्ठ संख्या 4 के नीचे अंकित क्रम संख्या 18 के मुहाल "चौकी ढोरियां" रिजर्व धटेड़ को चौकी-ढोरियां पढ़ा जाये तथा एक और मुहाल "रिजर्व धतेड़" के नाम से क्रम संख्या 21 के रूप में जोड़ दिया जाये।

शिमला-171002, 10 जुलाई, 1986

सं0 पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (4)-56/76-7.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 4 (1) तथा 5 (1) के अन्तर्गत प्राप्त हैं जिला शिमला की विकास खण्ड नारकण्डा की ग्राम पंचायत वारूवाग का नाम बदल कर ग्राम पंचायत थानेधार रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

शिमला-171002, 10 जुलाई, 1986

सं0पी0सी0एच0-एच0ए0 (4) 29/76-II.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा (1) तथा 5 (1) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला हमीरपुर की विकास खण्ड भोरंज की ग्राम पंचायत खड़ूही का नाम बदल कर दिम्मी रखने का सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश

शिमला-171002, 17 जुलाई, 1986

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (3)-7/76.—हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 6(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जिला सोलन की विकास खण्ड सोलन की नवगठित ग्राम सभा शमरोड के भाग 1 तथा 2 के रजिस्टरों को दिनांक 21-7-86 से 27-7-1986 तक पुनरावृत्ति करने तथा आपत्तियों की सुनवाई हेतु और निरीक्षण करने एवम् सत्यापन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आदेश से,
हस्ताक्षरित/-
सचिव।

कार्यालय आदेश

शिमला-171002, 18 जुलाई, 1986

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)88/80.—क्योंकि श्री कृष्ण दत्त प्रधान, ग्राम पंचायत चमयाणा, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला के विरुद्ध जिला अंकेक्षण अधिकारी मुख्यावास द्वारा किए गये पुनः अंकेक्षण 2/86 के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां सामने आई हैं;

यह कि श्री कृष्ण दत्त (जो कि पिछले कार्यकाल 9/85 से पहले उप-प्रधान थे) वे 1984 में 2500/- रुपये सड़क निर्माण हेतु प्राप्त किये परन्तु इस राशि का खर्च पंचायत के लेखे में 1981 में आ चुका है जिन मजदूरों के हस्ताक्षर मस्ट्रोल पर हैं, वह दूसरे मस्ट्रोल पर उन मजदूरों के भी हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते;

यह कि मलवाणा जल योजना के लिये 1981 में वर्त्तमान प्रधान 550/- रुपये की राशि पाईप इत्यादि सामग्री के साथ दी परन्तु फिर भी 354.76 रुपये की पाईप एक फर्म से खरीदी दिखाई गई है और लेखा 2-9-1985 को प्रस्तुत किया गया है जिसके लिए पंचायत का कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं ;

यह कि 300/- रुपये के मस्ट्रोल, जिसमें 6 दिन की मजदूरी सम्मिलित है में न तो दिनांक और न ही कार्य का विवरण अंकित है;

यह कि 11/85 तथा 12/85 के मस्ट्रोल में शिवदत्त को जहां मजदूर दिखाया है वहां 1/86 के मस्ट्रोल में उसे मिस्त्री दर्शाया गया है;

यह कि 11/85 तथा 12/85 के मस्ट्रोल में तथा इसी तरह 1/86 के मस्ट्रोल में क्रमशः 4 तथा 3 मजदूरों के हस्ताक्षर हैं जो कि एक ही व्यक्ति द्वारा किये लगते हैं ;

यह कि 1/86 के मस्ट्रोल में सर्वश्री रामकृष्ण, अमर सिंह तथा भूप राम को एक-एक दिन की अधिक आदयगी की गई है क्योंकि इन आरोपों की वास्तविकता जानने के लिये जांच करवानी आवश्यक है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री कृष्ण दत्त, प्रधान ग्राम पंचायत चमयाणा, विकास खण्ड मशोबरा के विरुद्ध लगे आरोपों की वास्तविकता जानने के लिए परियोजना अधिकारी शिमला को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं।

वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश शिमला के माध्यम से इस कार्यालय को एक माह के भीतर-भीतर प्रेषित करेंगे।

हस्ताक्षरित/-
उप-सचिव ।

अधिसूचना

शिमला-171002, 29 जुलाई, 1986

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0 (11)-22/85.—क्योंकि स्थानीय स्वशासन विभाग हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0-ए0 (4)-2/75, दिनांक 24 जनवरी, 1986 के अनुसार जिला ऊना में जो अधिसूचित क्षेत्र समिति गगरेट में ग्राम कलोह के 1168 कित्ते की 2533 कनाल 10 मरले भूमि सम्मिलित करने का प्रस्ताव है, ;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचित क्षेत्र समिति गगरेट के गठन के फलस्वरूप ग्राम कलोह के शेष क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 3(1) (एफएफ) के अन्तर्गत शेष बचे भाग को ग्राम घोषित करना जरूरी होगा।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 3 (1) (एफ एफ) के अन्तर्गत अनुच्छेद 2 में अंकित ग्राम कलोह के शेष भाग को कलोह नाम से ग्राम घोषित करने का सहर्ष आदेश देते हैं।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 4 व 5 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, अनुच्छेद 3 में घोषित ग्राम कलोह के लिये कलोह ग्राम सभा क्षेत्र स्थापित करने का भी सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

भाग 5—वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन

In the Court of Shri D. P. Sood, District Judge, Kangra Division Camp at Chamba

H.M.A. No. 42/86

Kamli *Versus* Madan Lal

Versus:

Shri Madan Lal son of Phinnu, resident of Kakena, Pargana Sherpur, Tehsil Bhattiyat, District Chamba.

Whereas in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this court that the above noted respondent is evading the service of the summons and cannot be served in the normal course of service. Hence this proclamation is hereby issued against him to appear in this court on the date fixed for hearing on 22-9-1986 at 10.00 A.M. personally or through an authorised agent or pleader to defend the case, failing which *ex-parte* proceedings will be taken against him.

Given under my hand and the seal of the court this the 29th day of July, 1986.

Seal.

D. P. SOOD,
District Judge,
Kangra at Chamba.

बअदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0.... ता0 दा0 1-7-86 ता0 फैसला....

मोहन सिंह सुपुत्र कालू राम, वासी जिंदवी, तप्पा पाहलू, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ..सायल।

बनाम

(1) भगत राम सुपुत्र ख्यालू राम, (2) जागीर सिंह, (3) सतदेव सुपुत्र पोहलो राम, (4) श्रीमती कमला देवी पत्नी ओंकार चन्द, (5) सुन्दर, (6) मोहन पिसरान गुलाबा, (7) सर्व दयाल सुपुत्र रूणका, (8) हरी चन्द, (9) कृष्ण कुमार, (10) प्रकाश, (11) कश्मीरा, (12) हमीर सिंह, (13) अमर चन्द, (14) प्रेम चन्द, (15) ज्ञान चन्द, (16) कर्म चन्द, (17) रौंफी, (18) कांशी राम, (19) दलीपू, (20) रोशन, (21) कश्मीरा, (22) दया राम, (23) रिखो राम, (24) प्रीतम सिंह, (25) श्रीमती चानो देवी, (26) कर्मो देवी, (27) कमला देवी, (28) परमा नन्द, (29) दिफो, (30) विधि चन्द, (31) केवल राम, (32) जुल्फी राम, (33) चरग दास, (34) चुन्नू राम, (35) निक्का राम, (36) रत्न चन्द, (37) वोहरा, (38) कांशी, (39) निक्कू, (40) निक्का, (41) दुर्गो देवी बाल्दा नरैण, (42) गायत्री देवी, (43) विजय कुमार, (44) सन्तोष कुमारी, (45) सुमना देवी, (46) प्रोमिला देवी, (47) गरीबू सुपुत्र तोता, (48) अनन्त राम सुपुत्र लच्छमण, (49) चन्दू सुपुत्र नानकू, (50) हिमाचल प्रदेश सरकार बजरिया कुलैक्टर महोदय जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश..मसूलअलैहम।

दरख्वास्त बराए किये जाने तकसीम अराजी मुन्दरजा खाता नं0 17 खतौनी नम्बरान 20 ता 47, खसरा नम्बरान 5, 6, 4, 208/31 मिन, 208/31 मिन, 210/32, 280/8, 281/8, 279/8, 29, 285/21, 282/212, 287/216, 289/41, 290/41, 302/9, 304/206, 14, 17, 46, 284/21, 283/212, 314/37, 286/216, 288/41, 306/204, 305/206, 218/49, 294/20, 298/24, 301/9, 307/204, 303/206, 292/3, 296/22, 300/26, 203/11, 205/13, 198, 7 मिन, 270/12 मिन, 16, 19, 27, 7 मिन, 270/12 मिन, 15, 272/30, 43, 159, 278/40, 45,

10, 25, 28, 18, 23, 274/33, 276/38, 44, 58, 277/40, 269/12, 271/30, 273/33, 275/38, किस्सा 66 रकबा तादादी 114 कनाल 13 मरले रकबा मजरूआ दाखल बाच्छ, गैर मजरूआ खारिज बाछ मुन्दरजा जमाबन्दी 1981 82 वाक्या टीका ठमाणी मंझली, मौजा लोहडर, त0 बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त मुकद्मा में फरीक दोयम (मसूलअलैहम) को समन जारी किए गए परन्तु वह निश्चित तारीख पेशी पर हाजर अदालत न आ रहे हैं और तामील भी हस्ब जाब्ता नहीं हो रही है। अत: अब अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त फरीकदोयम को साधारण तरीका से तामील होना असम्भव है। अत: बजरिया इश्तहार राजपत्र उपरोक्त समस्त फरीक दोयम को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 20-9-1986 को सुबह 10 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजर हो कर मुकद्मा की पैरवी करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत से आज दिनांक 31-7-86 को जारी हुआ।

मोहर।

एम0 एस0 चौधरी,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बड़सर,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th March, 1986

No. LLR-Leg-E(9)/86.—The following Ordinances recently promulgated by the President which have already been published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section I, are hereby republished in the Himachal Pradesh Government Rajpatra, for general information of the public:—

Sr. No.	Title	Date of the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section I in which the Acts were published
1.	The Administratibe Tribunals (Amendment) Ordinance, 1986 (1 of 1986).	22nd January, 1986.
2.	The Ravi and Beas Waters Tribunal Ordinance, 1986 (2 of 1986).	24th January, 1986.
3.	The Contract (Regulation and Abolition) Amendment Ordinance, 1986 (3 of 1986).	28th January, 1986.
4.	The Motor Vehicles (Amendment) Ordinance, 1986 (4 of 1986).	28th January, 1986.

Sd/-
Secretary (Law).

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 22nd January, 1986/*Magha* 2, 1907 (*Saka*)

THE ADMINISTRATIVE TRIBUNALS (AMENDMENT) ORDINANCE, 1986

(No. 1 OF 1986)

Promulgated by the President in the Thirty-sixth Year of the Republic of India.

An Ordinance to amend the Administrative Tribunals Act, 1985.

Whereas Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Administrative Tribunals (Amendment) Ordinance, 1986.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of the long title.—In the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985) (hereinafter referred to as the principal Act), in the long title, after the words "any corporation", the words "or society" shall be inserted.

3. Amendment of section 2.—In section 2 of the principal Act, clause (*b*) shall be omitted.

4. Amendment of section 3.—In section 3 of the principal Act,—

(*a*) clause (*a*) shall be re-lettered as clause (*aa*), and before clause (*aa*) as so re-lettered, the following clause shall be inserted, namely:—

'(*a*) "Administrative Member" means a Member of a Tribunal who is not a Judicial Member within the meaning of clause (*i*);';

(*b*) for clause (*i*), the following clauses shall be substituted, namely:—

'(*i*) "Judicial Member" means a Member of a Tribunal appointed as such under this Act, and includes the Chairman or a Vice-Chairman who possesses any of the qualifications specified in sub-section (3) of section 6;

(*ia*) "Member" means a Member (whether Judicial or Administrative) of a Tribunal, and includes the Chairman and a Vice-Chairman;';

(*c*) clause (*n*) shall be omitted;

(*d*) in clause (*q*), after the words "any corporation", the words "or society" shall be inserted;

(*e*) after clause (*r*), the following clause shall be inserted, namely:—

'(*rr*) "society" means a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or under any corresponding law for the time being in force in a State;'.

5. Amendment of section 4.—In section 4 of the principal Act, after sub-section (4), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

"(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this section, or sub-section (1) of section 5, the Central Government may,—

(*a*) with the concurrence of any State Government, designate, by notification, all or any of the Members of the Bench or Benches of the State Administrative Tribunal established for that State under sub-section (2) as Members of the Bench or Benches of the Central Administrative Tribunal in respect of that State and the same shall exercise the jurisdiction, powers and authority of the Central Administrative Tribunal by or under this Act;

(*b*) on receipt of a request in this behalf from any State Government, designate, by notification, all or any of the Members of the Bench or Benches of the Central Administrative Tribunal functioning in that State as the Members of the Bench or Benches of the State Administrative Tribunal for that State and the same shall exercise the jurisdiction, powers and authority of the State Administrative Tribunal as if established by or under this Act for that State,

and upon such designation, the Bench or Benches of the State Administrative Tribunal or, as the case may be, the Bench or Benches of the Central Administrative Tribunal shall be deemed, in all respects, to be the Central Administrative Tribunal, or the State Administrative Tribunal for that State established under the provisions of Article 323A of the Constitution and this Act.

(6) Every notification under sub-section (5) shall also provide for the apportionment between the State concerned and the Central Government of the expenditure in connection with the Members common to the Central Administrative Tribunal and State Administrative Tribunal and such other incidental and consequential provisions not inconsistent with this Act as may be deemed necessary or expedient.".

6. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), for the words "and other Members", the words "and Judicial and Administrative Members" shall be substituted;

(*b*) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) Subject to the other provisions of this Act, a Bench shall consist of one Judicial Member and one Administrative Member.";

(*c*) sub-section (3) shall be omitted;

(*d*) in sub-section (4),—

(*i*) in the opening portion, the words, brackets and figure "or sub-section (3)" shall be omitted;

(*ii*) for clause (*a*), the following clause shall be substituted, namely:—

"(*a*) may, in addition to discharging the functions of the Judicial Member or the Administrative Member of the Bench to which he is appointed, discharge the functions of the Judicial Member or, as the case may be, the Administrative Member, of any other Bench;";

(*iii*) in clause (*c*), for the words "the Vice-Chairman or, as the case may be, other Member of another Bench", the words "the Judicial Member or the Administrative Member, as the case may be, of another Bench" shall be substituted;

(*iv*) in clause (*d*),—

(1) for the words "three Members", the words "two Members" shall be substituted;

(2) the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

"Provided that every Bench constituted in pursuance of this clause shall include at least one Judicial Member and one Administrative Member.";

(*e*) sub-section (5) shall be omitted;

(*f*) in sub-section (6),—

(*i*) in the opening paragraph, for the words "an additional Bench", the words "a Bench" shall be substituted;

(*ii*) in the proviso, for the words "three Members", the words "two Members" shall be substituted;

(*g*) in sub-section (7), the words "principal Bench and other" shall be omitted.

7. Amendment of section 6.—In section 6 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (2),—

(*i*) after clause (*b*), the following clause shall be inserted, namely:—

"(*bb*) has, for at least five years, held the post of an Additional Secretary to the Government of India or any other post under the Central or a State Government carrying a scale of pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India; or";

(*ii*) in clause (*c*), for the words "a Member", the words "a Judicial Member or an Administrative Member" shall be substituted;

(*b*) for sub-section (3), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

"(3) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member unless he—

(*a*) is, or has been, or is qualified to be, a Judge of a High Court; or

(*b*) has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade I of that Service for at least three years.

(3A) A person shall not be qualified for appointment as an Administrative Member unless he—

(*a*) has, for at least two years, held the post of an Additional Secretary to the Government of India or any other post under the Central or a State Government carrying a scale of pay which is not less than that of an Additional Secretary to the Government of India; or

(*b*) has, for at least three years, held the post of a Joint Secretary to the Government of India or any other post under the Central or a State Government carrying a scale of pay which is not less than that of a Joint Secretary to the Government of India,

and shall, in either case, have adequate administrative experience.";

(*c*) in sub-sections (4) and (5), for the words "The Chairman", the words, brackets and figure "Subject to the provisions of sub-section (7), the Chairman" shall be substituted;

(*d*) in sub-section (6), after the words, brackets and figures "under sub-section (3) of section 4", the words so, brackets and figure "and subject to the provisions of sub-section (7)" shall be inserted;

(*e*) after sub-section (6), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(7) No appointment of a person possessing the qualifications specified in sub-section (3) as the Chairman, a Vice-Chairman or a Judicial Member shall be made except after consultation with the Chief Justice of India.".

8. Amendment of section 11.—In section 11 of the principal Act, in the *Explanation*, after the words "any corporation", the words "or society" shall be inserted.

9. Amendment of section 12.—In section 12 of the principal Act,—

(*a*) in the opening paragraph, the words "principal Bench and each of the additional" shall be omitted;

(*b*) in the proviso, for the words "the Vice-Chairman, subject to the condition that the Vice-Chairman", the words "the Vice-Chairman or any officer of the Tribunal, subject to the condition that the Vice-Chairman or such officer" shall be substituted.

10. Amendment of section 13.—In section 13 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1A) The officers and other employees of a Tribunal shall discharge their functions under the general superintendence of the Chairman.".

11. Amendment of sections 14 and 15.—In sections 14 and 15 of the principal Act,—

(*a*) the words and figures "under article 136 of the Constitution", wherever they occur, shall be omitted;

(*b*) after the word "corporation", wherever it occurs, the words "or society" shall be inserted;

(*c*) after the word "corporations", wherever it occurs, the words "or societies" shall be inserted.

12. Amendment of section 18.—In sub-section (1) of section 18 of the principal Act,—

(*a*) for the words "any additional Bench or Benches of a Tribunal is or are constituted", the words "any Benches of a Tribunal are constituted" shall be substituted;

(*b*) the words "principal Bench and the additional Bench or additional" shall be omitted.

13. Amendment of section 19.—In section 19 of the principal Act,—

(*a*) in the *Explanation* below sub-section (1), after the word "corporation", at both the places where it occurs, the words "or society" shall be inserted;

(*b*) in sub-section (2), for the words "as may be prescribed by the Central Government", the words "in respect of the filing of such application and by such other fees for the service or execution of processes, as may be prescribed by the Central Government" shall be substituted;

(*c*) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(3) On receipt of an application under sub-section (1), the Tribunal shall, if satisfied after such inquiry as it may deem necessary, that the application is a fit case for adjudication or trial by it, admit such application; but where the Tribunal is not so satisfied, it may summarily reject the application after recording its reasons.".

14. Amendment of section 22.—In section 22 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (2), for the words "after hearing of oral arguments, if any, allowed by the Tribunal in the circumstances of the case", the words "after hearing such oral arguments as may be adduced" shall be substituted;

(*b*) in sub-section (3), for the words "holding any inquiry", the words "discharging its functions under this Act" shall be substituted.

15. Amendment of section 23.—In sub-section (2) of section 23 of the principal Act,—

(*a*) after the word "corporation", the words "or society" shall be inserted;

(*b*) for the portion beginning with the words "may appoint" and ending with the words "before a Tribunal", the words "may authorise one or more legal practitioners or any of its officers to act as presenting officers and every person so authorised by it may present its case with respect to any application before a Tribunal" shall be substituted.

16. Substitution of new sections for sections 25 and 26.—For sections 25 and 26 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:—

"**25. Power of Chairman to transfer cases from one Bench to another.**—On the application of any of the parties and after notice to the parties, and after hearing such of them as he may desire to be heard, or on his own motion without such notice, the Chairman may transfer any case pending before one Bench, for disposal, to any other Bench.

26. Decision to be by majority.—If the Members of a Bench differ in opinion on any point, the point shall be decided according to the opinion of the majority, if there is a majority, but if the Members are equally divided, they shall state the point or points on which they differ, and make a reference to the Chairman who shall either hear the point or points himself or refer the case for hearing on such point or points by one or more of the other Members of the Tribunal and such point or points shall be decided according to the opinion of the majority of the Members of the Tribunal who have heard the case, including those who first heard it.".

17. Amendment of section 28.—In section 28 of the principal Act, for the words, brackets and figures "no court (except the Supreme Court under article 136 of the Constitution) shall have", the following shall be substituted, namely:—

"no court except,—

(*a*) the Supreme Court; or

(*b*) any Industrial Tribunal, Labour Court or other authority constituted under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) or any other corresponding law for the time being in force,

shall have".

18. Amendment of section 29.—In section 29 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), in the proviso, the words "or the Supreme Court" shall be omitted;

(*b*) in sub-section (2),—

(*i*) after the word "corporation", wherever it occurs, the words "or society" shall be inserted;

(*ii*) in the proviso, the words "or the Supreme Court" shall be omitted.

19. Amendment of section 35.—In sub-section (2) of section 35 of the principal Act,—

(*a*) in clause (*a*), for the words "three Members", the words "two Members" shall be substituted;

(*b*) in clause (*d*), for the words "and the fees payable in respect of such application", the words "and the fees payable in respect of the filing of such application or for the service or execution of processes" shall be substituted.

20. Amendment of section 36.—In section 36 of the principal Act, in clause (*a*), the words "principal Bench and the additional" shall be omitted.

21. Provisions as to existing Members of Central Administrative Tribunal.—Every person holding office as Chairman, Vice-Chairman or other Member of the Central Administrative Tribunal immediately before the commencement of this Ordinance shall,—

(*a*) if he possesses any of the qualifications specified for appointment as a Judicial Member under the principal Act, as amended by this Ordinance, be deemed, on and from such commencement, to have been appointed as a Judicial Member of such Tribunal; and

(*b*) in any other case, be deemed, on and from such commencement, to have been appointed as an Administrative Member of such Tribunal.

ZAIL SINGH,
President.

S. RAMAIAH,
Secy. to the Govt. of India.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 24th January, 1986/*Magha* 4, 1907 (*Saka*)

THE RAVI AND BEAS WATERS TRIBUNAL ORDINANCE, 1986

(No. 2 of 1986)

Promulgated by the President in the Thirty-sixth Year of the Republic of India.

An Ordinance to provide for the constitution of a Tribunal for the verification of the quantum of usage of water claimed by the farmers of Punjab, Haryana and Rajasthan from the Ravi-Beas system as on the 1st day of July, 1985, and the waters used for consumptive purposes and for the adjudication of the claim of Punjab and Haryana regarding the shares in their remaining waters;

Whereas paragraph 9.1 of the Punjab Settlement provides that the farmers of the States of Punjab, Haryana and Rajasthan will continue to get water not less than what they were using from the Ravi-Beas system as on the 1st day of July, 1985, and that waters used for consumptive purposes will also remain unaffected and the quantum of usage so claimed shall be verified by a Tribunal referred to in paragraph 9.2 of the said Settlement;

And whereas paragraph 9.2 of the said Punjab Settlement also provides that the claim of the States of Punjab and Haryana regarding the shares in their remaining waters will be referred for adjudication to a Tribunal to be presided over by a Supreme Court Judge;

And whereas Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Ravi and Beas Waters Tribunal Ordinance, 1986.

(2) It extends to the States of Punjab, Haryana and Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.—In this Ordinance, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Punjab Settlement" means the Memorandum of Settlement on the Punjab problem signed at New Delhi on the 24th day of July, 1985;

(*b*) "Tribunal" means the Ravi and Beas Waters Tribunal constituted under section 3.

3. Constitution of Tribunal.—(1) As soon as may be after the commencement of this Ordinance, the Central Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a Tribunal to be known as the Ravi and Beas Waters Tribunal for the varification and adjudication of the matters referred to in paragraph 9 of the Punjab Settlement.

(2) The Tribunal shall be a single member Tribunal presided over by a person nominated by the Chief Justice of India from amongst persons who at the time of such nomination are Judges of the Supreme Court.

(3) The Tribunal may appoint two or more persons as assessors to advise it in any proceeding before it.

(4) The presiding officer of the Tribunal and the assessors appointed under sub-section (3) shall receive such remuneration, allowances or fees as may be specified by the Central Government.

4. Adjudication of matters.—(1) When a Tribunal has been constituted under section 3, the Central Government shall refer the matters specified in paragraph 9 of the Punjab Settlement to the Tribunal for verification and adjudication.

(2) The Tribunal shall investigate the matters referred to it and forward to the Central Government a report, within such period as may be specified in the reference under sub-section (1), setting out the facts as found by it and giving its decision on the matters referred to it.

(3) The Central Government shall publish the decision of the Tribunal in the Official Gazette, and such decision shall be final and binding on the parties to the proceeding before it and shall be given effect to by them.

5. Filling up of vacancies.—If, for any reason, a vacancy (other than a temporary absence) occurs in the office of the presiding officer of the Tribunal, such vacancy shall be filled in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 3 and the investigation of the matters referred to the Tribunal may be continued by the Tribunal after the vacancy is filled from the stage at which the vacancy occurred.

6. Powers of the Tribunal.—(1) The Tribunal shall have the same powers as are vested in civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters, namely:—

(*a*) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(*b*) requiring the discovery and production of documents and material objects;

(*c*) issuing commissions for the examination of witnesses or for local investigation.

(2) The Tribunal may require any State Government to carry out, or permit to be carried out, surveys and investigation as may be considered necessary for the verification or adjudication of any matter referred to it.

(3) Subject to the provisions of this Ordinance, the Tribunal may, by order, regulate its own practice and procedure.

7. Bar of jurisdiction of Courts.—Notwithstanding anything contained in any other law, no court shall have, or exercise, jurisdiction in respect of the matters which may be referred to the Tribunal under this Ordinance.

8. Dissolution of the Tribunal.—The Central Government shall dissolve the Tribunal after it has forwarded its decision to the Central Government.

9. Ordinance to have over-riding effect.—The provisions of this Ordinance shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

ZAIL SINGH,
President.

S. RAMAIAH,
Secy. to the Govt. of India.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 28th January, 1986/*Magha* 8, 1907 (*Saka*)

THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) AMENDMENT ORDINANCE, 1986

No. 3 OF 1986

Promulgated by the President in the Thirty-seventh Year of the Republic of India.

An Ordinance to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970;

Whereas Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers, conferred by clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) Amendment Ordinance, 1986.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of Act 37 of 1970.—In section 2 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, in sub-section (1), for clause (*a*), the following clause shall be substituted, namely:—

'(*a*) "appropriate Government" means,—

(*i*) in relation to an establishment in respect of which the appropriate Government under the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), is the Central Government, the Central Government;

(*ii*) in relation to any other establishment, the Government of the State in which that other establishment is situate;'.

ZAIL SINGH,
President.

S. RAMAIAH,
Secy. to the Govt. of India.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 28*th January*, 1986/*Magha* 8, 1907 (*Saka*)

THE MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) ORDINANCE, 1986

No. 4 OF 1986

Promulgated by the President in the Thirty-seventh Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Motor Vehicles Act, 1939.

Whereas Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Motor Vehicles (Amendment) Ordinance, 1986.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of Section 47.—In section 47 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) (hereinafter referred to as the principal Act), in *Explanation I* below sub-section (1*C*), for the words and figures "sections 55, 63 and 68", the words and figures "sections 55 and 68" shall be substituted.

3. Amendment of Section 63.—In section 63 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (11),—

(*i*) in the opening paragraph,—

(*A*) the words "in respect of such number of motor vehicles as the Central Government may specify in this behalf in relation to that State" shall be omitted;

(*B*) for the word and figures "sections 54, 55", the word and figures "sections 45, 54" shall be substituted;

(*ii*) the proviso shall be omitted;

(*b*) sub-sections (11*A*), (11*B*) and (11*C*) shall be omitted.

4. Amendment of Section 68.—In section 68 of the principal Act, in sub-section (2),—

(*a*) in clause (*ci*),—

(*i*) for the words ", public carriers' permits or national permits", the words "or public carriers' permits" shall be substituted;

(*ii*) the words and figures "or section 63" shall be omitted;

(*b*) in clauses (*cii*) and (*civ*), for the words ", public carriers' permits or national permits", the words "or public carriers' permits" shall be substituted.

ZAIL SINGH,
President.

S. RAMAIAH,
Secy. to the Govt. of India.

भाग 7—भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनायें

शून्य

अनुपूरक

शून्य

PART I

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 अगस्त, 1986

संख्या उद्योग-6(छः) 5-1/85.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम सीमित जो कि भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 3 के खण्ड (सी0सी0) के अर्थान्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः गांव सराज माजरा-गुजरां, जुड़ी-खुर्द तथा जुड़ी-कलां, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र विकास हेतु भूमि अर्जित करना अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया

जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में विनिर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन करना अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अन्तर्गत, भूमि-अधिग्रहण समाहर्ता (उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी), नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि अर्जन करने के लिए आदेश प्राप्त करें ।

3. इस भूमि का नक्शा एवं अन्य कागजात भूमि अधिग्रहण समाहर्ता (उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी), नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किए जा सकते हैं ।

परिक्षेत्र

जिला : सोलन तहसील: नालागढ़

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र बीघा	क्षेत्र बिस्वा
1	2	3	4
(1) सराज-माजरा-गुजरां	288	4	19
	305	5	10
	306	2	8
	307	1	13
	328	1	6
	298	1	5
	300	2	13
	301	0	13
	302	0	8
	303	1	14
	324	0	18
	325	0	17
	326	0	14
	329	1	7
	330	3	17
	327	6	4
	295	3	6
	287	3	16
	289	2	9
	290	0	15
	291	3	16
	293	0	11
	294	0	12
	296	1	3
	297	19	19
	304	5	1
	322	6	1
	312	1	15
	313	1	5
	315	0	17
	317	2	11
	321	5	8
	308	1	6
	309	1	0
	310	1	2
	311	1	4
	314	1	13
	347/285	1	0
	348/286	0	11
	316	0	18
	319	7	16
	320	0	9
	318	2	18
	346/285	2	11
	349/286	0	9
(2) जुड़ी-खुर्द	52 मिन	5	0
	54 मिन	1	10
	55	2	11
	56	6	7
	133 मिन	2	2
	57	5	16
	116	1	9
	117	1	3
	118	2	8
	132	0	14
	134	1	9
	52 मिन	10	10
	54 मिन	4	16
	128	0	7
	131	0	16
	133 मिन	0	13
	20	1	19
	32	0	15
	33	0	16
	21	1	18
	31	1	8
	19	0	13
	34	1	9
	36	2	1
	37	1	9
	38	0	6
	39	2	16
	35	5	3
	121	2	6
	123	0	9
	124	1	18
	115	8	4
	40	1	7
	42	2	2
	46	2	9
	47	2	15
	49	21	17
	53	4	16
	17	1	19
	18	2	8
	263/45	1	8
	265/45	3	5
	274/65	0	10
	271/65	2	19
	276/66	2	1
	277/68	1	2
	3	1	0
	4	1	3
	51	1	19
	264/45	1	9
	266/45	3	5
	270/65	0	19
	272/65	1	8
	273/65	1	2
	275/66	2	0
	278/68	1	3
	122	2	12
	125	0	18
	129	0	9
	130	0	13
	135	6	5
	136	0	3
	9	3	14
	44 मिन	1	12
	10	0	18
	16	3	10
	119	2	5
योग .	45	118	2

1	2	3	4
	44 मिन	1	10
	120	2	7
	44 मिन	3	0
	12	0	18
	14	3	7
	15	1	0
	1	2	11
	2	0	16
	5	1	9
	6	1	16
	7	0	12
	28	7	7
	27	5	3
	22	3	3
	25	0	10
	29	1	11
	126	2	0
	58	1	6
	30	3	4
	13	0	11
	43	1	3
	50	0	14
	8	1	1
	41	0	10
	127	0	1
योग ..	92	217	16
(3) जुड़ी-कलां	5	1	14
	16	1	13
	21	11	6
	22	1	1
	25	0	14
	26	8	8
	32	3	14
	33	2	3
	34	6	12
	55	2	11
	113	1	13
	131	0	5
	135	1	14
	136	1	1
	137	1	3
	11	1	4
	35	11	15
	163	0	19
	164	0	15
	3	3	2
	4	3	13
	6	3	13
	7	1	4
	8	13	6
	10	1	11
	60	4	4
	61	4	17
	38	8	0
	40	3	1
	52	3	2
	152	0	11
	153	0	6
	154	3	16
	155	0	16
	156	1	0
	157	6	19
	159	2	4
	132	5	0
	133	0	15
	23	1	4
	24	0	17
	29	13	16
	31	3	1
	37	4	8
	41	2	13
	121	1	19
	30	4	4
	120	0	7
	165	2	2
	166	0	18
	167	16	15
	169	4	13
	170	4	0
	39	2	8
	42	6	12
	43	2	14
	44	3	10
	45	0	17
	46	2	5
	49	2	3
	111	2	16
	112	13	15
	122	6	19
	123	3	15
	125	1	1
	128	1	0
	129	1	12
	126	0	5
	127	0	5
	130	0	5
	134	5	0
	138	0	10
	28	3	7
	27	2	15
	158	0	7
	160	2	4
	1	5	17
	2	0	16
	12	7	18
	13	4	11
	124	14	7
	17	5	0
	18	3	7
	53	3	12
	337/54	26	8
	338/54	10	18
	20	9	17
	9	1	4
	56	1	3
	350/57	0	17
	58	1	5
	351/57	2	8
	59	7	17
	352/142	1	12
	354/161	0	13
	162	0	14
	36	2	5
योग ..	97	370	15
कुल योग ..	3 गांव 234 खसरा	706	13

आदेश द्वारा,
ओ0पी0यादव,
आयुक्त एवं सचिव।

PART II

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh that land is likely to be acquired to be taken by the Government at the public expenses for a public purpose*. It is hereby declared that the land in the locality described below is likely to be acquired for the said* purpose.

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to authorise the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested, who has any objection to the acquisition of any land in the locality may, within 30 days of the publication of the notification, file an objection in writing before the Land Acquisition Collector, H.P. P.W.D., Kangra.

**Construction of Tang-Uthragran-Ramehr-Baldhar-Jasaur road km. 2/0 to 10/0 (Portion km 2/0 to 8/0).*

No. SEV-WS/LA/DH-4150-54.

Palampur, the 16th August, 1986.

SPECIFICATION

District: KANGRA *Tehsil*: KANGRA

Mohal	Khasra No.	Area in Hect.
1	2	3
UPREHR/RAMEHR	119/1	0 00 16
	120/1	0 00 16
	126/1	0 00 75
	127/1	0 00 73
	128/1	0 01 75
	129/1	0 01 40
	130/1	0 00 92
	133/1	0 01 56
	134/1	0 04 10
	135/2	0 00 74
	141/1	0 00 20
	142/1	0 00 63
	143/1	0 01 26
	144	0 00 80
	145/1	0 01 97
	146/1	0 00 74
	147/1	0 00 06
	148/1	0 01 08
	148/2	0 00 09
	828/151/1	0 00 30
	154/1	0 00 06
	156/1	0 04 48
	157/2	0 03 76
	217/1	0 01 04
	227/2	0 00 24
	236/1	0 00 45
	236/2	0 00 16
	237/1	0 00 02
	268/1	0 00 34
	269/1	0 00 04
	270/1	0 01 44
	265/1	0 00 02
	266/1	0 00 45
	271	0 00 56
	272/1	0 02 24
	270/1	0 00 29
	273/1	0 00 12
	274/1	0 00 24
	278/1	0 00 04
	279/1	0 00 06
	280/1	0 02 72
	281/1	0 02 06
	282	0 05 16
	283/1	0 01 59
	293/1	0 01 93
	294/1	0 00 21
	295/1	0 00 27
	324/2	0 03 30
	325/1	0 00 50
	332/1	0 00 04
	334/1	0 00 56
	334/2	0 00 10
	457/1	0 00 04
	461/1	0 00 32
	462/1	0 03 32
	460/1	0 00 40
	463/1	0 00 12
	464	0 01 06
	454/1	0 01 76
	465/1	0 02 21
	467/1	0 00 78
	468/1	0 03 61
	469	0 01 70
	470/1	0 01 02
	471	0 00 48
	472/2	0 00 46
	479/1	0 00 44
	541/1	0 00 25
	542	0 01 94
	543/1	0 00 24
	549/1	0 00 04
	581/1	0 00 06
	582/1	0 00 33
	583	0 02 62
	584/1	0 00 22
	587/1	0 00 08
	602/1	0 00 12
	605/1	0 00 74
	646/1	0 01 36
	648/1	0 00 12
	649	0 07 37
	650/1	0 02 30
	706/1	0 00 22
	713/1	0 00 12
	714/1	0 00 24
	715/1	0 00 56
	842/606/3	0 08 49
	719/1	0 02 27
	720/1	0 00 21
	721/1	0 01 44
	722/1	0 00 04
	810/728/1	0 00 50
Total Kitta ..	93	1 03 61
BHUNEHR/RAMEHR	80/1/1	0 00 26
	83/1	0 00 46
	84/1	0 00 14
	86/1	0 00 13
	96/1	0 06 06
	616/97/2/1	0 00 28
	99/1	0 00 77
	100	0 04 96
	101/2	0 00 48
	102/1	0 01 87
	103/1	0 00 64
	104/1	0 00 24
	106/1	0 00 23
	107/1	0 00 15
	108/1	0 00 86
	124/1/1	0 01 58
	125/1	0 00 91
	127/1	0 00 20
	128/1	0 00 03
	151/1	0 00 36
	160/1	0 00 20
	209/1	0 00 08
	212/1	0 00 57
	213	0 03 96
	217/1	0 00 11
	218/1	0 00 18
	219/1	0 00 14
	227/1	0 00 08
	228/1	0 00 28

1	2	3
	232/1	0 00 32
	233/1	0 00 02
	234/1	0 00 15
	240/1	0 01 08
	241/1	0 02 03
	245/1	0 01 58
	246/1	0 01 28
	249/1	0 02 28
	250/1	0 00 05
	255/1	0 00 04
	257/1	0 01 01
	258/1	0 00 06
	259/1	0 00 58
	277/1	0 00 60
	277/2	0 00 39
	278/1	0 02 09
	279/1	0 02 12
	280/1	0 00 16
	308/1	0 00 18
	310/1	0 00 28
	310/1	0 01 14
	311/1	0 00 04
	313/1	0 00 47
	314/1	0 00 16
	319	0 15 00
	320/1	0 01 50
	321/1	0 03 90
	322/1	0 02 94
	323/1	0 00 10
	341/1	0 00 12
	342/1	0 00 02
	344/1	0 00 08
	355/1	0 00 18
	356/1	0 00 52
	358/1	0 00 22
	504/1	0 01 76
	545/1	0 01 38
	546/1	0 00 30
	558/1	0 00 09
	559/1	0 01 90
	568/1	0 00 21
	568/2	0 01 28
	568/3	0 00 04
	569/1	0 00 06
	570/1	0 00 24
	590/1	0 03 80
	591/1	0 00 39
	592/1	0 00 14
	593/1	0 00 08
	594/1	0 00 13
	595/1	0 00 12
	596/1	0 00 30
Kitta ..	82	0 81 24
SIHUND	494/1	0 00 48
	496/2	0 04 97
	497/1	0 00 25
	499/2	0 01 92
	500/2	0 02 64
	514/2	0 02 25
	516/1	0 02 58
	520/2	0 01 71
	522/1	0 04 96
	523/2	0 00 94
	524/1	0 00 98
	536/2	0 02 10
	537/2	0 09 68
	538/1	0 00 24
	538/3	0 00 20
	545/1	0 05 99
	545/3	0 06 91
	546/1	0 00 36
	548/2	0 00 75
	648/4	0 00 38
	556/2	0 01 92
	557/2	0 01 61
	558/1	0 01 38
	559/1	0 00 02
	560/1	0 00 24
	561/1	0 00 35
	562/2	
	563/2	
	563/4	
	582/2/1	
	582/3/1	
	585/1	
Kitta ..	32	
ROD/SIHUND	157/2	
	200/1	
	208/2	
	231/1	
	232/2	
	234/2	
	235/1	
Kitta ..	7	
UPREHR/BALDHAR	382/1	
	383/1	
	387/1	
	384/1	
	388	
	389/1	
	390/1	
	391/1	
	386/1	
	397/1	
	398/1	
	404/1	
	408/1	
	407/1	
	409/1	
	413	
	421/1	
	418/1	
	419/1	
	420	
	422/1	
	458/1	
	459/1	
	463/1	
	381/1	
	331/1	
	332/1	
	333/1	
	338/1	
	336/1	
	335/1	
	343/1	
	344/1	
	346/1	
	353/1	
	352/1	
	354/1	
	351/4	
	350/1	
	380/1	
	377/1	
Kitta ..	41	
UPREHR/BALDHAR	372/2	
	374/2	
	380/3	
	504/2	
	505/1	
	506/2	
	507/1	
	517/2	
	521/2	
Kitta ..	9	
MANCHBAR/ BALDHAR	175/2	
	175/3	
	258/1	
	261/2	
	266/2	

1	2	3
	268/1	0 00 89
	269/2	0 04 33
	270/2	0 00 30
	276/1	0 02 62
	324/280/1	0 03 41
	325/280/1	0 00 46
	281/1	0 00 38
	286	0 01 38
	288/1	0 02 72
	299/1	0 04 78
	300/1	0 01 83
Kitta ..	16	0 33 25
Grand Total ..	280	3 88 65

**Construction of Nagrota-Baldhar-Dhaloon road km. 5/80 to 8/250.*

No. SEV-WS/LA-DH-4183-87.

Palampur, the 16th August, 1986.

DHALOON/ KARAPURA	1252/4/1	0 00 36
	1252/4/3	0 08 80
	1254/7	0 11 27
	305/1	0 07 28
	306/1	0 00 15
	1278/308/1	0 00 09
	1280/308/1	0 14 40
	1280/308/2	0 05 56
	1280/308/3	0 00 63
	309	0 37 81
	366/1	0 00 16
	367/1	0 00 48
	367/2	0 00 28
	465/1	0 00 31
	466/1	0 00 18
	468/1	0 00 98
	477/1	0 01 19
	478/1	0 00 27
	479/1	0 00 24
	488/1	0 00 12
	489/1	0 00 00
	490/1	0 00 06
	1266/597/1	0 22 39
	673/1	0 00 45
	675/1	0 00 24
	706	0 26 85
	707/2	0 05 76
	708/1	0 02 22
	710/1	0 00 46
	711/2	0 01 74
	712/2	0 03 82
	735/2	0 01 50
	736/1	0 00 20
	737/1	0 00 24
	737/2	0 00 14
	738/1	0 00 71
	739/1	0 01 14
	740/1	0 01 37
	741/1	0 00 78
	755/1	0 00 12
	771/1	0 01 51
	773/1	0 01 12
	774	0 05 60
	775	0 11 76
	776/1	0 00 70
	777/1	0 00 08
	779/1	0 00 56
	780/1	0 00 78
	781/1	0 00 90
	782/1	0 00 62
	853/1	0 00 06
	860/1	0 03 15
	880/1	0 00 36
	923/1	0 03 73
	926/1	0 00 21
	944/1	0 00 08
	957	0 00 08
	958/1	0 07 27
	959/1	0 01 50
	960/1	0 00 70
	970/1	0 00 64
	979/1	0 00 64
	980/1	0 02 08
	981/1	0 00 14
	983/1	0 00 40
	984/3	0 02 04
	985	0 04 55
	986/1	0 00 14
	987/1	0 00 15
	988/1	0 00 54
	989	0 00 34
	990	0 00 32
	1048/1	0 00 14
	1049/1	0 00 06
	1050/1	0 00 10
	1050/2	0 00 06
	1057/1	0 00 10
	1058/1	0 00 41
	1059/1	0 00 28
	1061/1	0 00 80
	1062/1	0 00 45
	1287/1064/1	0 00 38
	1068/1	0 00 04
	1069/1	0 00 42
	1072/1	0 03 35
	1074/1	0 00 57
	1075	0 13 33
	1076/1	0 00 44
	1077/1	0 00 60
	1078/1	0 00 15
	1079/1	0 00 14
	1080/1	0 00 29
	1081/1	0 01 04
	1084/1	0 02 24
	1097/1	0 00 98
	1098/1	0 00 10
	1099/1	0 00 20
	1100/1	0 00 04
	1107/1	0 00 36
	1108/1	0 00 91
	1109/1	0 00 06
	1143/1	0 00 12
	1145/1	0 00 10
	1146/1	0 00 14
	1149/1	0 00 14
	1151/1	0 00 58
	1245/1	0 00 06
Kitta ..	107	2 44 72
PATYALKAR	7	0 04 59
	304/1	0 00 20
	305/1	0 01 14
	306/1	0 00 06
	307/2	0 02 82
	309/1	0 00 66
	820/1	0 00 40
	821	0 00 16
	822/1	0 00 08
Kitta ..	9	0 10 11
DHALOON	1172/1	0 00 08
	1173/1	0 00 22
	1174/1	0 00 42
	1175/1	0 00 33
	1176	0 03 06
	1177/1	0 00 26
	1179/1	0 01 02
	1180/1	0 00 12
Kitta ..	8	0 05 51
G. Total	124	2 60 34

R. C. KALIA,
Superintending Engineer,
5th Circle, H.P. P.W.D., Palampur.

PART V

ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शिमला, तहसील व जिला शिमला

इश्तहार जेर धारा 21, रूल 5, जाब्ता दिवानी

श्री चरण सिंह ठाकुर सुपुत्र स्वर्गीय हेतराम, सा0 ग्राम बरमू, तह0 व जिला शिमला।

बनाम

श्रीमती सावित्री सुपुत्री रिजा मल, निवासी ग्राम केलटी बरमू, तह0 व जिला शिमला।

दरख्वास्त बराए तबदीली खसरा गिरदावरी खेवट खतौनी नं0 3, 8, खसरा नं0 3, 4 किते 2 तादादी 0-12 बिस्वे मौजा जंगल महदूदा शरावग, परगना पगोगी, तह0 व जिला शिमला।

मुकदमा उपरोक्त में प्रतिवादी श्रीमती सावित्री को अदालत द्वारा कई बार नोटिस जारी किए गए परन्तु बिना तामील वापिस आते रहे अब हाल की तामील से पाया गया कि श्रीमती सावित्री 18-20 साल से लापता है अब इश्तहार द्वारा श्रीमती सावित्री देवी अगर कहीं स्वयं पढ़े तो वह मुकदमा हजा की पैरवी के लिए 5-9-86 को प्रात: 10 बजे असालतन व वकालतन जवाब देही हाजिर अदालत आवे। बसूरत गैर हाजरी कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 22-8-86 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

हस्ताक्षरित/-
मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शिमला।

बअदालत जनाब सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, देहरा

श्रीमती लूरो देवी विधवा हीरु पुत्र प्रसोतम दास, महाल खवली, मौजा पाइसा, तहसील देहरा।

बनाम

(1) श्रीमती कौरां देवी, (2) जगदीशवरी देवी, (3) निर्मला देवी, (4) कुमारी उषा देवी पुत्रियां सोमां देवी पुत्री ठाकर दास, साकन खवली, तहसील देहरा व सर्व जनता।

तस्दीक इन्तकाल नं0 22 मुहाल खवली, मौजा पाईसा, तहसील देहरा, बरूए वसीयत जबानी दिनांक 19-4-81 मिन जानब श्रीमती लूरो देवी वहक सुभाष चन्द।

प्रत्यार्थीगण व सर्वसाधारण को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि उन्हें कई बार नोटिस जारी किए गए कि वे बरवक्त तस्दीक इन्तकाल हाजर आ कर अपना उजर एतराज पेश करें परन्तु वे हाजर न आ रहे हैं। अत: उन्हें दोबारा बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त इन्तकाल के मन्जूर होने में कोई उजर या एतराज हो तो वे असालतन या वकालतन हमारी अदालत में बमकाम देहरा मिति 8-9-86 हाजर आकर कर सकते हैं गैर हाजरी की सूरत में यक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जा कर फैसला इन्तकाल कर दिया जावेगा।

आज दिनांक 7 माह अगस्त, 1986 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के जारी हुआ।

हस्ताक्षरित/-
मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील देहरा।

व अदालत जनाब शशिभूषण रिवाल, सहायक संग्रहकर्ता द्वितीय श्रेणी (तहसीलदार), तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

परसराम, जीव राम पुत्र श्री गंगा राम, निवासी गांव सिहल, परगना त्यून, तहसील घुमारवीं।

बनाम

(1) रूपा विधवा घुंगर, निवासी ग्राम सिहल, प्र0 त्यून, (2) दुर्गी पत्नी पीरू, निवासी ग्राम सिहल, प्र0 त्यून, (3) राम प्रकाश सुपुत्र गोविन्द, निवासी ग्राम वलोह, प्र0 सुन्हाणी, (4) दुर्गा, (5) वंसी, (6) मुख राम, (7) जगदीश, (8) सीतू पुत्रान बुहलू, निवासी दकड़ी, (9) शाली सुपुत्र बेली, निवासी ग्राम दकड़ी, प्र0 त्यून।

मिसल नं0 26/13 तारीख रजूआ 1-6-86

दरखवास्त दरुस्ती गिरदावरी अधीन धारा 37-38 वाक्या मौजा सिहल अराजी तादादी 1-7 बिघा न0 ख0 84 नं0 खाता/खतौनी 52/74 मिन वाक्या मौजा सिहल, प्र0 त्यून, तहसील घुमारवीं।

हरगाह उपरोक्त मुकदमा दरुस्ती गिरदावरी प्रतिवादीगण राम प्रकाश व एल0 आरज दुर्गा, वंशी, मुखराम, वाक्या मौजा दकड़ी, को कई बार समन भेजने पर भी तामील असालतन न हो सकी। अत: अदालत को यकीन हो चुका है कि फ्रीकदोयम की तामील असालतन न हो सकती है। अत: उपरोक्त फरीकदोयम को बजरिया इश्तहार अखबारी आर्डर 5 रूल 20 जाब्ता दिवानी सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त मुकदमा में फरीकदोयम को कोई उजर इतराज हो तो दिनांक 3-9-86 को या इससे पूर्व बवक्त 10 बजे सुबह असालतन व वकालतन अदालत आवें। बसूरत गैर हाजरी में एक तरफा कारवाई अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 2-8-86 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर निशान कार्यालय से जारी किया गया।

शशि भूषण रिवाल,
मोहर। सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, घुमारवीं,
तहसील घुमारवीं।

HIMACHAL PRADESH FINANCIAL CORPORATION NEW HIMRUS BUILDING, CIRCULAR ROAD SHIMLA-171001

NOTICE

Shimla-171001, *the* 11*th August*, 1986

No. HPFC/4-3/67-V.—In pursuance of regulation 24 read with regulation 37 of the General Regulations of the Corporation, it is hereby notified that a Special General Meeting of the Share-holders of the Himachal Pradesh Financial Corporation will be held at the Head Office of the Corporation, New Himrus Building, Circular Road, Shimla on MONDAY the 29th September, 1986 at 11.00 A.M. to transact the following business:—

To elect one director representing Co-operative Banks in terms of Section 10A of the State Financial Corporations Act, 1951 by the Co-operative Banks who are shareholders of the Corporation in place of Shri Manjit Singh Dogra, who ceased to be a director of the Corporation under the Act ibid.

2. It is further notified that the Share Register of the Corporation will remain closed and the registration of transfer suspended from 26th August, 1986 to 28th September, 1986 (both days inclusive).

Notes :

1. The list of the share-holders shall be available for purchase at the Head Office of the Corporation at a price of Re. 1/- (Rupee one only) per copy from 6th September, 1986.
2. The last date for the receipt of nominations for the election of a director shall be the 12th September, 1986.
3. The last date for the deposit of proxies shall be the 20th September, 1986.
4. The last date for the deposit of certified copies of the resolutions appointing duly authorised representatives by the Companies shall be the 23rd September, 1986.
5. The last date for receipt of State Government's order appointing any of its Officers as its representative shall be the 29th September, 1986 before the time fixed for the meeting.

Sd/-
Secretary.

I, Charan Dass s/o Late Shri Kirpa Ram, Village Dharam Kot, District Kangra have changed my name to Om Parkash Pathania. All concerned to note please.

मैं, चरण दास सुपुत्र स्वर्गीय श्री किरपा राम, गांव धर्मकोट, जिला कांगड़ा ने अपना नाम बदल कर ओम प्रकाश पठानिया रख लिया है, सभी सम्बन्धितगण नोट करने की कृपा करें।

ओम प्रकाश पठानिया

सत्यापित।

सहायक आबकारी व कराधान आयुक्त,
ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।